



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2015-2016

भारत सरकार

Government of India

Ministry of Law And Justice

विधि और न्याय मंत्रालय

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और मंत्रालय का संगठन	(i)-(iii)
2.	अध्याय - 1	विधि कार्य विभाग	1-56
3.	अध्याय - 2	विधायी विभाग	57-93
4.	अध्याय - 3	न्याय विभाग	94-123
5.	उपाबंध - I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	124
6.	उपाबंध - II	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	125-126
7.	उपाबंध - III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	127
8.	उपाबंध - IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	128-132
9.	उपाबंध - V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	133
10.	उपाबंध - VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	134
11.	उपाबंध - VII	विधायी विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	135
12.	उपाबंध - VIII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्वसैनिकों/ शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	136
13.	उपाबंध - IX	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	137
14.	उपाबंध - X	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	138

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात् गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया। इस प्राधिकारी के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारतीय विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग शामिल हैं। जहां तक कि न्याय विभाग का प्रश्न है, एक पृथक अध्याय (अध्याय 111) में सम्पूर्ण विवरण दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को परामर्श देने का कार्य करता है जबकि विधायी विभाग केंद्र सरकार के लिए मुख्य विधान के प्रारूपण से संबंधित है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना;

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना;

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति सुव्यवस्थित प्रवाह व विरोध के प्रबंधन के लिए और विधि का शासन लागू करने में और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।

- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय-1

विधि कार्य विभाग

1 कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य-मदों का आबंटन किया गया है :-

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण-लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना ।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है ।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना ।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध ।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं के निष्पादन और संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए वादों में वाद - पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।
6. भारतीय विधि सेवा ।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना ।
8. विधि आयोग ।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति ।

10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश ।
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन ।
12. आयकर अपीलीय अधिकरण ।
13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:-

- (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961
- (ख) नोटरी अधिनियम, 1952
- (ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;
- (घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है । यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है । इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात् भारत के महान्यायावादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी जुड़ा है । विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है ।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय । कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है- सलाह कार्य और मुकदमा कार्य । विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट उपाबंध-1 में दिया गया है ।

(1) मुख्य सचिवालय :

- (i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं । विधिक सलाह देने और हस्तांतरण-लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों

के समूहों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः, प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

- (ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक अपर सचिव हैं।
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।
- (iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।
- (v) विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात् कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्य और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।
- (vi) संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक-एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर-संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद लोक उद्यम विभाग के लिए भी स्वीकृत है और पदधारी उक्त विभाग में माध्यस्थ के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थ मामलों में मध्यस्थ के तौर पर कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस.एफ.आई.ओ., एन.टी.आर.ओ., केंद्रीय जांच ब्यूरो और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

(2) भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ-साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा

(वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया। ये नियम दिनांक 1 अक्टूबर, 1957 से लागू हुए हैं। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को न्यायिक अधिकारी दिए हैं।

(3) भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारतीय विधि सेवा के अधिकारी अपने कार्य में कभी पीछे नहीं रहे हैं । भारत सरकार के प्रधान विधिक अंग होने के नाते उन्होंने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है । डिजिटल क्रांति ने सूचना की अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है तथा संपदा सृजन के नए क्षेत्रों को बल प्रदान किया है । हमारा विधिक ढांचा सूचना की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, इसके लिए उसकी जांच करना आवश्यक हो गया है। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं ।

वे हमारे संवैधानिक आधारों को सुदृढ़ बनाने, उनमें विस्तार करने और उन्हें धूप-पानी से बचाने में काम आने वाले पत्थरों को तराशने की भूमिका निभाते हैं। निश्चय ही, वे सभी हमारे पवित्र और भव्य संवैधानिक भवन के कुशल शिल्पी हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4518 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया । इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की ।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुए सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित 80 मामलों पर भी कार्रवाई की गई ।

(4) हस्तांतरण-लेखन से संबंधित 212 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई । इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे ।

(5) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 95 नोट और 66 निर्देश विधिक और संवैधानिक दृष्टि से जांच के लिए प्राप्त हुए ।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, इस अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 4232 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए। उन पर इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई राय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(2) विधिक सलाह देने के अलावा इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की ।

(3) सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों से संबंधित संसद प्रश्नों और आश्वासनों से संबंधित 153 मामलों पर भी कार्रवाई की गई ।

(4) उपर्युक्त अवधि के दौरान, विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से समीक्षा किए जाने के लिए 122 मंत्रिमंडल-नोट, एस.एल.पी./एजी/एसजी/एसजी की राय से संबंधित 886 मामले प्राप्त हुए।

5. सलाह 'ग' अनुभाग

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर 23 नए मामले भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटर्स की राय के लिए भेजे गए । सभी मामलों पर उनकी राय प्राप्त हुई और प्राप्त राय को माननीय विधि और न्याय मंत्री और विधि सचिव के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया ।

(2) इस अनुभाग ने 627 विभिन्न विषयों पर पूर्व निर्णयों को दृढ़ करने और अन्य कार्यों में विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को साधारण तथा सचिवीय सहायता भी प्रदान की ।

(3) इस अवधि के दौरान, इस अनुभाग में वर्ष 1998 से 2015 तक की विधि अधिकारियों की राय वाली फाइलों (कुल 700) को स्कैन किया गया तथा वर्ष 1950 से 2015 तक की अवधि की अनुक्रमणिका को स्कैन किया गया ।

6. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी । यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् महालेखाकार के कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है । उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/सिविल अपीलें, उन्हें फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं । इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव देखते हैं, जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं । उनकी सहायता के लिए नियमित आधार पर 5 सरकारी अभिलेख अधिवक्ता, कांट्रैक्ट आधार पर 4 अभिलेख अधिवक्ता और अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी और समूह 'घ' के कर्मचारी हैं। यहां विधि अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता के लिए लगभग 500 सरकारी पैनल काउंसेल हैं । केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है। वित्त वर्ष 2015-16 में इसके लिए कुल 33.96 करोड़ रु० का बजट आबंटन किया गया है।

(2) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के क्रियाकलाप निम्नलिखित से संबंधित हैं: -

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश ।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण ।

- रिकार्ड, प्राप्ति तथा निर्गम अनुभाग, फीस बिल यूनिट, पर्सनल डिपार्जिट यूनिट, कंप्यूटर प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग का, जिसके अंतर्गत रोकड़ अनुभाग भी शामिल है, पर्यवेक्षण करना ।

(3) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के अभिलेख - अधिवक्ता हैं । ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं ।

(4) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत अभिलेख के अनुसार, वर्ष 2015 के दौरान, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 3887 नए मामले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों से 427 मामले प्राप्त हुए, जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता हैं या प्रत्यर्थी हैं। अधिकतर मुकदमे वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, रेलवे, रक्षा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि से संबंधित हैं ।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा-कार्य

भारत सरकार के रेल और आय-कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख एक भारसाधक अधिकारी द्वारा अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारिवृंद की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

- (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन ।

- (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:-

बी0आई0एफ0आर0, ए0ए0आई0एफ0आर0, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, टी.डी.एस.ए.टी., केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम ।

(2) मुकदमा कार्य दो अनुभागों - मुकदमा (30न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

(3) केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा-सालिसिटर, नौ स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल, ज्येष्ठ काउंसेलों और सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा-सालिसिटर/भारत के अपर महा-सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

(4) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान में इस एकक को 6 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विधि अधिकारियों और सरकारी काउंसेलों के वृत्तिक फीस के लगभग 7500 बिल संदाय के लिए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2016 तक 2500 फीस बिल और प्राप्त होने की संभावना है। दिसम्बर, 2015 के अंत तक, 4.55 करोड़ रुपये के लगभग 6500 फीस बिल निपटाए गए हैं और संबंधित विधि अधिकारियों और काउंसेलों को उनका भुगतान किया गया है।

(5) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान, मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 3758 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति और सरकारी काउंसेलों के नियोजन का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	1.4.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01.01.2016 से 31.3.2016 तक प्रत्याशित मामले	योग
ए	3204	800	4004
बी	554	130	684
कुल	3758	930	4688

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा -कार्य

(6) मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसिलर नामनिर्दिष्ट करता है।

(7) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 987 मामलों में सरकारी काउंसिलर नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा-कार्य

अनुभाग	1.4.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त मामले	01.01.2016 से 31.3.2016 तक प्रत्याशित मामले	योग
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	987	350	1337

मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

- (i) रेल और आय-कर विभाग को छोड़कर दिल्ली/ नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी उप विधि सलाहकार द्वारा अधीक्षक (विधि)/ सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।
- (ii) यहां ज्येष्ठ पैनल काउंसिलरों /अपर केंद्रीय सरकारी काउंसिलरों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें से मुकदमा लड़ने के लिए काउंसिलरों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है। संबद्ध मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर मामले में न्यायालय में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसिलर नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 829 (पुराने और नए)

मामलों में काउंसिल नियोजित किए हैं। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/काउंसिलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। दिनांक 21.01.2016 को जिला न्यायालयों/ अधिकरणों/उपभोक्ता फोरमों में कुल 8425 मामले लंबित थे।

- (iii) काउंसिलों से प्राप्त फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 471 फीस बिल प्राप्त हुए और काउंसिलों के वृत्तिक फीस बिलों के लिए रुपये 2847420/- का संदाय किया गया। वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए कुल बजट रुपये 40,00,000/- है। आज की तारीख के अनुसार, लगभग 10 लाख रुपये के कुल लंबित बिलों की संख्या 194 है।
- (iv) न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों / अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा0सू0के0) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।
- (v) इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी उप विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है। अधीक्षक (विधि) मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

8. न्यायिक अनुभाग

न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमा-कार्य के व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है। इसके कृत्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के संचालन के लिए भारत के महान्यायावादी, भारत के महा-सालिसिटर और अपर महा-सालिसिटर्स और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरणों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों में उपभोक्ता फोरमों में केन्द्रीय सरकार के काउंसिलों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिककल्प प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों और विभागों की ओर से विधि अधिकारियों तथा अन्य

काउंसिलों को नियोजित करना है। इसके कृत्यों में, मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधनों तथा शर्तों को तैयार करना और उन्हें तय करना भी है। न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्यस्थों के नामांकन के लिए भी जिम्मेदार है।

(2) यह अनुभाग, कानूनी आदेश जारी करने के लिए, जैसे कि सा0का0नि0 167 के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध रिट कार्यवाहियों में या सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय मेंवादों में वाद-पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने हेतु आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत भी करता है।

(3) यह अनुभाग सिविलवादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालय की डिक्रियों का निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों का प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत निधन होने पर विदेशियों की संपदाओं का प्रशासन करने के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने का कार्य भी कर रहा है।

(4) भारत ने वर्ष 2007 में सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में न्यायिक व न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के बारे में हेग कंवेन्शन को तथा सिविल व वाणिज्यिक मामलों में विदेशों में साक्ष्य लेने के हेग कंवेन्शन को अपनी सहमति प्रदान की है। इन दोनों कंवेन्शनों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कंवेन्शनों के अधीन विदेशों से प्राप्त समनों/नोटिसों की न्यायिक प्राधिकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को तामील से संबंधित कार्य करता है। न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से जारी किए जाने वाले समनों/नोटिसों को तामील के लिए विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रसारित करने का कार्य भी करता है।

(5) उक्त अवधि के दौरान, पांच विधि अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और दक्षिणी क्षेत्र में नियुक्त किए गए। आज की तारीख में, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के हितों की देखभाल करने के लिए 18 विधि अधिकारी हैं, जिनके नाम-पते <http://lawmin.nic.in/la/lawofficers.pdf> में देखे जा सकते हैं। दो सहायक महासालिसिटर गुवाहाटी और मेघालय उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए। 41 अतिरिक्त पैनल काउंसिल उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त किए गए। 56 नए पैनल काउंसिल आंध्र प्रदेश उच्च

न्यायालय में, 44 नए पैनल काउंसेल गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, 12 नए पैनल काउंसेल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 93 नए पैनल काउंसेल दिल्ली उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ जिला न्यायालयों में नियुक्त किए गए। 36 नए पैनल काउंसेल गुजरात उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 17 नए पैनल काउंसेल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 18 नए पैनल काउंसेल झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 153 नए पैनल काउंसेल कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 83 नए पैनल काउंसेल केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 72 नए पैनल काउंसेल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 113 नए पैनल काउंसेल बंबई उच्च न्यायालय में और 18 बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ और 5 औरंगाबाद पीठ के लिए नियुक्त किए गए । 20 नए पैनल काउंसेल उड़ीसा उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए । 102 नए पैनल काउंसेल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में और 106 नए पैनल काउंसेल राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 101 नए पैनल काउंसेल मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 419 नए पैनल काउंसेल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 29 नए पैनल काउंसेल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। 139 नए पैनल काउंसेल कलकत्ता उच्च न्यायालय नियुक्त किए गए। 25 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, नई दिल्ली में नियुक्त किए गए। 34 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, लखनऊ में नियुक्त किए गए। 15 नए पैनल काउंसेल सशस्त्र बल अधिकरण, जयपुर में नियुक्त किए गए।

(6) विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44(ख) के अधीन मॉरिशस के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि की । इसके अतिरिक्त, विधि कार्य विभाग वर्ष 1965 के हेग कन्वेंशन के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेशों के साथ न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है । इस दायित्व के अधीन, लगभग 815 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई । उक्त अवधि के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची-1 के आदेश XXVII के नियम 1 के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किए गएवादों में वाद-पत्रों व लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं व करारों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए कुछ अधिसूचनाएं भी जारी की गई । इसके अतिरिक्त, सरकार और प्राइवेट पक्षकारों के बीच के विवादों में कुछ मध्यस्थ भी नामित /नियुक्त किए गए।

9. नोटरी सेल

नोटरी सेल नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 का प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक और अन्य अवचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से इस आशय का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्त मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

(2) जनवरी 2015 से दिसम्बर, 2015 तक लगभग 435 अधिवक्ताओं/आवेदकों को नोटरी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में 11303 नोटरी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस दौरान नोटरियों के 690 प्रमाण-पत्रों का नवीकरण किया गया है।

(3) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, नोटरी सेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नोटरियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का कार्यान्वयन रहा जिससे प्रत्येक आवेदक न केवल सार्वजनिक नोटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है बल्कि अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति का भी पता लगा सकता है। इससे आवेदन की स्थिति से संबंधित पूछताछ, आरटीआई आवेदनों और मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली दिनांक 1.1.2016 से शुरू की गई है और इस बारे में आम जनता में भी सूचना का व्यापक प्रचार किया गया है।

10. कार्यान्वयन सेल

इस विभाग के कार्यान्वयन सेल का कार्य विधि आयोग की रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उन पर कार्रवाई करना और जांच और उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजना है। यह सेल अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय के प्रशासन से भी संबद्ध है।

(2) भारत के विधि आयोग ने दिनांक 31.12.2015 तक 262 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। 254 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा चुकी हैं। दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त हुई सभी रिपोर्टें जांच/कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित की जा चुकी हैं। अनुभाग में

रिपोर्ट सं. 256 से 262 की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संसद के आगामी बजट सत्र में संसद में रखा जाएगा।

(3) कार्यान्वयन कक्ष कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता आ रहा है। पिछला (ग्यारहवां) विवरण संसद के दोनों सदनों में (दिनांक 10.12.2015 को लोकसभा में और दिनांक 11.12.2015 को राज्य सभा में) रखा गया है।

11. अधिवक्ता अधिनियम, 1961

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 ('1961 का अधिनियम') विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने और राज्यों के स्तर पर राज्य बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार काउंसिल अर्थात् भारतीय बार काउंसिल का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1961 के इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन केवल एक वर्ग के व्यक्ति अर्थात् अधिवक्ता ही भारत में विधि व्यवसाय करने के हकदार हैं।

12. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गरीब व विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाएं हमेशा से कानूनी बिरादरी के लिए विचारणीय विषय रहे हैं। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने अधिनियम बनाए हैं। संसद ने "अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001" अधिनियमित किया है जो उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों में लागू होता है जिनके इस विषय में अपने अधिनियम नहीं हैं ताकि वे "अधिवक्ता कल्याण निधि" का सृजन कर सकें। इस अधिनियम में वकीलों के लिए न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया गया है। "अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्पों" की बिक्री के जरिए एकत्रित राशि अधिवक्ता कल्याण निधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(2) विधि व्यवसाय करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान देकर अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्टी समिति के पास रहेगी और उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। इस निधि का प्रयोग किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान, प्रैक्टिस की समाप्ति पर निश्चित राशि के संदाय और किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामले में उसके नामिती या कानूनी वारिस को

निश्चित रकम का संदाय करने, सदस्यों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिए, वकीलों के लिए विधि की पुस्तकों की खरीद व उनकी सामान्य सुविधाओं आदि के लिए किया जाएगा ।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई सेल विधि कार्य विभाग से संबंधित आरटीआई अनुरोधों, प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों पर कार्रवाई करता है:

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (1.4.2015 से 31.12.2015)
1.	कुल आरटीआई अनुरोध	1050
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपीलें	31
3.	माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें	33
4.	ऑनलाइन प्राप्त कुल अनुरोध	4417

14. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

- (1) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय की कानूनी पुस्तकों/जर्नलों और अन्य शोध सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है । यह अनुभाग अपने प्रयोक्ताओं को संदर्भ और विधिक अनुसंधान सेवा प्रदान करता है ।
- (2) इस वर्ष पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 406 पुस्तकें खरीदीं और संदर्भ के लिए विधि के जर्नलों के 442 खंडों की जिल्दबंदी भी करवाई ।
- (3) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग विधि के 19 भारतीय जर्नल, 3 विदेशी जर्नल और 40 पत्रिकाएं मंगाता है ।
- (4) पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए निर्णयज विधि, निर्णयों, आलेखों आदि के सुलभ संदर्भ के लिए निम्नलिखित सीडी रोम/ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त की हैं: -
 - (क) ए0आई0आर0 कॉम्बो डीवीडी (अपडेट्स) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, क्रिमिनल लॉ जर्नल (1950-2014)
 - (ख) एससीसी केस फाइंडर सीडी (अपडेट्स)

- (ग) ग्रांड ज्यूरिक्स (एससी,एचसी,ट्रिब्यूनल)
- (घ) एससीसी ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज
- (ङ.) मनुपात्र डॉट काम ऑनलाइन (आई0पी0) सर्विसेज
- (च) वेस्ट लॉ इंडिया ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज
- (छ) सी.एल.ए. ऑनलाइन.इन (आई.पी.) सर्विसेज

15. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिनांक 25.7.1989 को जारी किए गए थे। इस बाबत अनुदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए प्रतिवर्ष पुनः जोर दिया जाता है।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2015 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने-अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से

उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। "हिंदी दिवस" की पूर्व संध्या पर प्राप्त माननीय गृह मंत्री के संदेश को विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2015 से 30.9.2015 तक "हिंदी माह" का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिंदी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिंदी माह के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात् "हिंदी निबंध प्रतियोगिता," "हिंदी टंकण प्रतियोगिता", "हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता", "हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," "अनुवाद प्रतियोगिता", "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए), और "हिंदी कामकाज प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 97 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 85 सफल प्रतियोगियों को मार्च, 2016 में आयोजित होने वाले समारोह में विधि सचिव द्वारा 66,800/-रु० के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का सृजन :

- (i) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिंदुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।
- (ii) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिंदी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।
- (iii) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी

केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

- (iv) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनका हिन्दी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है। सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।
- (v) विभाग के सभी 300 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।
- (vi) विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी/हिन्दी आशुलिपि/ हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जाती है।
- (vii) माननीय विधि और न्याय मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 2015 को हुई। इस बैठक का आयोजन विधायी विभाग द्वारा किया जाता है।
- (viii) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 18 फरवरी, 2015 को आयकर अपीलीय अधिकरण के इंदौर पीठ तथा दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को उसके गुवाहाटी पीठ में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। निरीक्षण बैठकों में श्री टी.एन.तिवारी, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी, श्री विजयसिंह मीणा, उप निदेशक (राजभाषा) एवं श्री अशोक कुमार चावला, सहायक निदेशक (राजभाषा) (केवल इंदौर में) ने विधि कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया। संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 06.01.2015 को आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे पीठ का निरीक्षण किया गया जिसमें उप निदेशक(रा.भा.) ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया।

- (ix) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।
- (x) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 8 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- (xi) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा0), सभी अवर सचिव, और सभी अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है। समिति की पिछली बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को हुई थी।
- (xii) दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ब्यौरा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पहलू भी है, **उपाबंध-II** में दिया गया।

16. शाखा सचिवालय, मुम्बई

वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग के मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान/प्रभारी एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो सहायक विधि सलाहकार और दो अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी हैं।

(2) जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, उसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले

अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय, मुंबई में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

क. विधिक सलाह : भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात उन्हें युक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता /अपर सरकारी अधिवक्ता को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं ।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 2744 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने लगभग सभी मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में कोई भी मामला लंबित नहीं है ।

ख. मुकदमा : इस शाखा सचिवालय के मुकदमा अनुभाग के प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी हैं जिनकी सहायता के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं । इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है । जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/ नियुक्त अधिवक्ताओं/ काउंसलों के और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसलों के माध्यम से किया जाता है । जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 2023 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसल नियुक्त किए गए और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 580 मुकदमे निपटाए गए।

ग. प्रशासन : शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी हैं । शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी है।

माननीय बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 2743/2014 में दिनांक 4.2.2015 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में नेशनल स्पाॅट एक्स्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल) और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (भारत) लिमिटेड (एफटीआईएल) के एकीकरण पर आपत्ति की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/प्रभारी अधिकारी को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित की गई समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

घ. राजभाषा : इस शाखा सचिवालय के संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार/ प्रभारी अधिकारी 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं।

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2015-16 के दौरान शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं, जो समग्र प्रभारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसिल फीस बिल, मुकदमा, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है जिसमें 8800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता

उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं से संबंधित सभी मुकदमों की देखरेख करता है।

(2) शाखा सचिवालय, कोलकाता का कार्यालय द्वितीय और तृतीय तल, मिडिल बिल्डिंग, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता -700001 में स्थित है।

(3) यह शाखा सचिवालय कलकत्ता उच्च न्यायालय और पोर्ट ब्लेयर स्थित उसके सर्किट बेंच में तथा 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में अन्य उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता न्यायपीठ के साथ-साथ कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अन्य न्यायपीठों और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के उसके सर्किट न्यायपीठों के समक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। यह शाखा सचिवालय आय-कर विभाग, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (केवल सलाह कार्य), राजस्व आसूचना, फेमा, रेल मंत्रालय (पुराने मामले), रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय

सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्थित हैं, और कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न होने पर पूर्वी क्षेत्र से बाहर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को भी, संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है। संबंधित विभागों से विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण और आय-कर अपीलीय अधिकरण आदि विभिन्न अधिकरणों के समक्ष और माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों के समक्ष उपस्थित होने के लिए काउंसलों को भी नियोजित किया जाता है।

(4) वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक सलाह खंड में कुल 1307 निर्देश प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि वर्ष 2015-16 के अंत तक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों और निपटाए गए निर्देशों की कुल संख्या लगभग 1500 होगी। इस शाखा सचिवालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों के साथ-साथ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले अभिवक्तियों की विधीक्षा भी की जाती है।

(5) मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख-अधिवक्ता के तौर पर और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।

(6) 2015-16 के दौरान, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, एक अपर सरकारी अधिवक्ता और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं ने भारत संघ और अन्य केंद्रीय सरकारी याचिकाकर्ताओं/प्रत्यर्थियों की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी अभिवक्ता के तौर पर भी उपस्थित हुए। वर्ष 2015-16 के दौरान, दिसंबर, 2015 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त और संचालित उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 3030 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों (कुछ मामले पिछले वर्षों के भी थे) की संख्या 1363 है। संपूर्ण वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाए जाने वाले संभावित मामलों की संख्या लगभग 4200 होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दिसम्बर, 2015 के अंत तक लंबित सरकारी मामलों की कुल संख्या 1846 थी। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता न्यायपीठ में वर्ष 2015-16 में (दिसंबर, 2015 तक) सेवा मामलों में काउंसलों की नियुक्ति के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता में प्राप्त मामलों की संख्या 1307 थी और यह अनुमान है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या 2000 तक हो

जाएगी। वर्ष 2015-16 में (दिसंबर, 2015 तक) माध्यस्थम मामलों सहित निपटाए गए अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों की संख्या 300 थी और यह अनुमान है कि 2015-16 की शेष अवधि के दौरान लगभग 40 और मामले प्राप्त हो सकते हैं।

(7) काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 3,00,00,000/- रुपए के स्वीकृत बजट में से दिसम्बर 2015 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 1,26,14,704/- रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बजट की शेष राशि का संदाय वर्ष 2015-2016 के अगले तीन महीनों के दौरान किया जाएगा। अधिवक्ताओं को दी गई फीस का विवरण उपाबंध-III में दिया गया है।

(8) यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों में और मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन करने वाले सरकारी काउंसेलों/स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों को उचित जांच के पश्चात प्रमाणित भी करता है, जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा पुनरीक्षण के लिए भेजे गए होते हैं। तथापि, इन बिलों का वास्तविक भुगतान संबंधित विभागों द्वारा ही किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी काउंसेलों की व्यावसायिक फीस के बिलों का पुनरीक्षण भी इसी शाखा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

(9) इस शाखा सचिवालय में राजभाषा हिंदी के प्रचार/प्रयोग संबंधी कार्य के लिए हिंदी अनुभाग है, जिसका पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी द्वारा एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की सहायता से किया जाता है। इस सचिवालय में सितम्बर, 2015 में 'हिंदी दिवस' पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अभी तक हिंदी शिक्षण योजना के अधीन, लगभग 90 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आशा की जाती है कि वर्ष 2017 तक स्टाफ के सभी कर्मचारी ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे।

(10) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, कोलकाता द्वारा विकसित 'कोसा' नामक एक नये सॉफ्टवेयर से शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के वेतन बिलों को तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए आयकर की त्रैमासिक विवरणियों को इलैक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया जा रहा है और फ्लापियों/सीडी में उन्हें टीआईएन सुविधा केंद्र के माध्यम से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा एक नया फार्म-24जी शुरू किया गया है, जिसे स्रोत पर कर काटे जाने के अगले महीने की 10 तारीख तक इस विभाग द्वारा भरकर इलैक्ट्रानिक फॉर्मेट में जमा किया जाना होता है। एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर 'सीडीडीओ2पीएओ' का प्रयोग करते हुए व्यय का साप्ताहिक विवरण भी तैयार किया जाता है और फ्लापियों/सीडी में वेतन और लेखा कार्यालय को भेजा जाता है। इसके

अतिरिक्त, सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी गवर्नमेंट एकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम (जीएमएस) का प्रयोग करते हुए सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजी होती है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, कोलकाता में 37(सैंतीस) पर्सनल कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग/अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब यहां के लगभग सभी कम्प्यूटरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

(11) शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित है, जिसमें 8800 से अधिक पुस्तकें हैं। यह मुकदमा-कार्य और सरकारी विभागों को सलाह के काम में बहुत मददगार है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और 'सीडीजे लॉ जर्नल' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

(12) शाखा सचिवालय, कोलकाता के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक बायोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था शुरू की गई है। अब आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रणाली भी सफलतापूर्वक शुरू की गई है।

(13) शाखा सचिवालय, कोलकाता में एक नियमित प्रक्रिया के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा है। शाखा सचिवालय, कोलकाता में स्वच्छता अभियान और पुराने रिकार्डों की छंटाई के निरीक्षण के लिए अधीक्षक (विधि) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। शाखा सचिवालय में हर दूसरे शनिवार को 'सफाई अभियान' चलाया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यापक मरम्मत कार्य तथा स्वच्छता अभियान चालू होने के कारण कार्यालय ज्यादा स्वच्छ और सुंदर हो गया है और कार्यालय परिसर को और स्वच्छ/सुंदर बनाने के उद्देश्य से उसमें परिवर्तन/नवीकरण के प्रयास जारी हैं।

18. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह : यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। दिनांक 1-4-2015 से 31-12-2015 तक की अवधि के दौरान, सलाह के लिए लगभग 834 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के दौरान सलाह के लिए लगभग 350 निर्देश और प्राप्त होने की संभावना है।

मुकदमा कार्य : शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, दूरसंचार, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों इत्यादि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है।

(ii) दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 6525 मामले प्राप्त हुए और उनमें से लगभग 6345 मामलों का निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सी ए टी/एल सी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अगले तीन महीने की शेष अवधि में मुकदमों से संबंधित लगभग 1800 और मामले प्राप्त होने का अनुमान है।

(iii) शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनां, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। केन्द्रीय सरकार के काउंसलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

प्रकीर्ण : रिपोर्ट की अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभिन्न आवेदन, अपीलें और मुकदमों के संबंध में अन्य पत्र/निर्देश आदि भी प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया।

महिला कर्मचारी : इस कार्यालय में 7 महिला कर्मचारी हैं जिनमें 1 उप विधि सलाहकार, 1 अधीक्षक (विधि), 2 वैयक्तिक सहायक, 1 वरिष्ठ कोर्ट क्लर्क और 2 सहायक अनुभाग अधिकारी हैं।

निम्नलिखित श्रेणियों के तहत कार्यरत कर्मचारियों के आंकड़े : सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के अलावा, विभिन्न श्रेणियों के 13 कर्मचारी हैं, जिनमें अ0 जा0-4, अ0 ज0 जा0-1, अ0 पि0 व0-6, भूतपूर्व सैनिक- 1 और शारीरिक रूप से विकलांग -1 है ।

19. शाखा सचिवालय, बंगलूरु

शाखा सचिवालय, बंगलूरु की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है । शाखा सचिवालय, बंगलूरु के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं ।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है । चालू वर्ष अर्थात् 2015-2016 के दौरान सलाह के लिए लगभग 775 निर्देश प्राप्त हुए और उन सभी का निपटान कर दिया गया। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, प्रति-विवरणों और पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है ।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं ।

मुकदमा कार्य : यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा बंगलूरु नगर, हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है । यह शाखा सचिवालय दोनों राज्यों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता

प्रतिषेध आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। चालू वर्ष 2015-16 के दौरान, मुकदमों से संबंधित लगभग 2901 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है। इस संबंध में शाखा सचिवालय के कृत्यों में केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस के बिल : यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस के बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक सालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरु द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से वह मुकदमे का संचालन करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल काउंसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस मामले में कोई शंका होने पर अनुरोध किए जाने पर यह मंत्रालय स्थिति को स्पष्ट करता है।

भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय की स्थापना : भारत सरकार ने श्री के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रभुलिंग के. नवादगी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 8 अप्रैल, 2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः दक्षिणी जोन के लिए और कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत के अपर महासालिसिटर के पद पर नियुक्त किया है। भारत के ये दोनों अपर महासालिसिटर बंगलूरु में रहते हैं। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के परिसर में कार्यालय स्थान आबंटित होने के फलस्वरूप दिनांक 8 जनवरी, 2016 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा भारत के अपर महासालिसिटर के कार्यालय का उद्घाटन किया गया।

20. भारत का विधि आयोग

20वें विधि आयोग की अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गई और दिनांक 1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें विधि आयोग का गठन किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष; चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित); सचिव, विधि कार्य विभाग (पदेन सदस्य); सचिव, विधायी विभाग (पदेन सदस्य); और 5 से अनधिक अंशकालिक सदस्य हैं। तथापि, अभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी बाकी है।

(2) 20वें विधि आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

- (i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है ।
- (ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है ।
- (iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना ।
- (iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के झावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि, से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना ।
- (v) एक से अधिक मंत्रालयों/ विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किए गए निर्देशों पर विचार करना ।
- (vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना ।

ख. विधि और निर्धनता :

- (i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक - आर्थिक विधान के लिए पश्च-संपरीक्षा करना ।
- (ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों ।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :--

- (i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके ।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो ।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार ।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना ।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके ।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना ।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भेजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(3) 20वें विधि आयोग ने उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के अनुसरण में स्व-प्रेरणा से और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों पर कार्य किया।

(4) विधि आयोग ने वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत कीं :-

(i) **रिपोर्ट सं0 252:** हिंदू पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार: हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार (6.1.2015)

- (ii) **रिपोर्ट सं0 253:** उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वणिज्यिक अपीली प्रभाग तथा वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक, 2015 (29.01.2015)
- (iii) **रिपोर्ट सं0 246 की अनुपूरक रिपोर्ट:** माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन, रिपोर्ट सं0 246 के बाद की परिस्थितियों में "लोक नीति" (06.02.2015)
- (iv) **रिपोर्ट सं0 254:** भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (12.02.2015)
- (v) **रिपोर्ट सं0 255:** निर्वाचन सुधार (12.03.2015)
- (vi) **रिपोर्ट सं0 256:** कुष्ठ रोग द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विभेद का उन्मूलन (07.04.2015)
- (vii) **रिपोर्ट सं0 257:** भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा संबंधी विधियों में सुधार (22.05.2015)
- (viii) **रिपोर्ट सं0 258:** विदेशी लोक पदधारी और लोक अंतरराष्ट्रीय संगठन के पदधारी रिश्वत निवारण-एक अध्ययन और प्रस्तावित संशोधन (27.08.2015)
- (ix) **रिपोर्ट सं0 259:** आरंभिक बाल्यावस्था विकास और विधिक हकदारियां (27.08.2015)
- (x) **रिपोर्ट सं0 260:** 2015 प्रारूप माडल भारतीय द्विपक्षीय विनिधान संधि का विश्लेषण (27.08.2015)
- (xi) **रिपोर्ट सं0 261:** पालित पशुओं की दुकानों और कुत्तों तथा जलजीवशाला में मछलियों के पालन को विनियमित करने की आवश्यकता (28.08.2015)
- (xii) **रिपोर्ट सं0 262:** मृत्युदंड (31.08.2015)

21. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

प्रस्तावना: भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। संस्थान के उद्देश्य हैं - विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक-आर्थिक विकास और आम लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष

हैं। इस संस्थान को वर्ष 2004 में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 29.10.2004 की अधिसूचना सं.एफ.9-9/2001-यू.3 के तहत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

अकादमिक कार्यक्रम: वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोध पर एक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया । इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिये होता है । वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2015-2016 में दाखिल छात्र
एल.एल.एम.- 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	26
एल.एल.एम.- 2 वर्ष (पूर्णकालिक)	36
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	260
विधि में पीएच.डी.	03
छात्रों की कुल संख्या	325

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 27 छात्र नामांकित हैं ।
- यह संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन- लाइन ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान ऑन-लाइन साइबर विधि के बैच सं. 20, 21, और 22 तथा ऑन-लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 31, 32 और 33 पूरे हुए।

कार्य-निष्पादन व उपलब्धियों की रिपोर्ट (दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक)

जारी किए गए शोध-प्रकाशन : रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए :

- **जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (जेआईएलआई):** यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं ।

- **आई0एल0आई0 न्यूजलैटर:** यह त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण प्रकाशित किया जाता है ।
- **दस्तावेजों का डिजिटीकरण:** भारतीय विधि संस्थान ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं ।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं/ दौरे/ विशेष व्याख्यान) :

- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसैंटीनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी) गुड़गाँव और सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु के साथ मिल कर दिनांक 15 मई, 2015 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 (संशोधित) पर एक राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (लॉ स्कूल) के सहयोग से दिनांक 8 जून, 2015 को भारतीय विधि संस्थान में “यातना, अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार” विषय पर एक दिन का एक सेमीनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी ने उद्घाटन भाषण दिया।
- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 18 जून, 2015 को भूटान की शाही सरकार के प्रतिनिधि मंडल के लिए ‘भारत में संधि की विधि, अनुसमर्थन प्रक्रिया और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियाँ’ विषय पर आधे दिन का एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसैंटीनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (जीजीएसआईपी) के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 19-20 जून, 2015 को जी0जी0एस0आई0पी0 यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली में ‘विधिक शोध और कार्य प्रणाली’ विषय पर एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से इस वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं :

सत्र I- दिनांक 3-4 अक्टूबर, 2015 को न्यायिक अधिकारियों के लिए “मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ” विषय पर दो-दिवसीय कार्यक्रम ।

सत्र II - दिनांक 7 और 8 नवंबर, 2015 को पुलिस कर्मिकों के लिए ‘पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ’ विषय पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

सत्र III - दिनांक 12 और 13 दिसंबर, 2015 को जेल कर्मिकों के लिए “मानवाधिकार :मुद्दे और चुनौतियाँ” विषय पर दो-दिवसीय कार्यक्रम ।

- भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 13 जून, 2015 को अकादमिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित- एल एल.एम. कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (ऑल इंडिया कॉमन एडमिशन टेस्ट) [सी.एल.ए.टी.] आयोजित की गई। एल एल.एम.- एकवर्षीय और दो-वर्षीय कार्यक्रमों के लिए 475 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की योग्यता-सूची निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 जून, 2015 को अधिसूचित की गई।

शोध परियोजनाएं:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान को 'आतंकवाद से संबंधित मामलों का सार-संग्रह और आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल तैयार करने की एक परियोजना सौंपी है, जिस पर कार्य चल रहा है ।
- 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का अर्थ और स्थिति' विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपी परियोजना पर कार्य चल रहा है ।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद ने संस्थान को केंद्रीय जांच ब्यूरो और कानून का प्रवर्तन करने वाली अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 'विधि के शासन की प्रमुखता' विषय पर एक माड्यूल विकसित करने की परियोजना सौंपी है ।
- भारतीय विधि का पुनर्कथन: भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और भारतीय विधि संस्थान के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों, संवैधानिक विधि और दंड विधि की बाबत 'भारतीय विधि के पुनर्कथन के लिए समितियां' गठित की हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान को 'उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पंचायती राज से संबंधित निर्णयज विधि पर एक अध्ययन' विषय पर एक परियोजना सौंपी है। इस अध्ययन पर कार्य चल रहा है।

आगामी गतिविधियां

(दिनांक 1.1.2016 से 31.3.2016 तक)

I. प्रकाशन

उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशन किए जाने का प्रस्ताव है:

- (i) जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)
- (ii) आई.एल.आई. न्यूजलेटर विद केस कमेंट्स एंड लीगल जाटिंग्स (त्रैमासिक प्रकाशन)
- (iii) भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण -2014
- (iv) विधि पत्रिकाओं की सूची-2015
- (v) "पर्यावरण कानून" पर नई पुस्तक तथा 'ए ट्रीटाइज ऑफ कंजूमर प्रोटेक्शन लॉज' और 'राइट टू बेल' पुस्तकों का संशोधित व अद्यतन संस्करण ।

II. बैठकें/ संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ दौरे/ विशेष व्याख्यान

- (i) डॉ. डेविड मेलोनी "द यू. एन. सिक्योरिटी काउंसिल इन ए टाईम ऑफ रिन्यूड ग्रेट पावर टेंशन" विषय पर एक विशेष व्याख्यान देंगे।
- (ii) संस्थान 'मानवाधिकार : मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर किशोर सुधार गृहों/ वृद्धाश्रमों/ स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए एक एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ।
- (iii) भारतीय विधि संस्थान का वार्षिक दीक्षांत समारोह दिनांक 15 मार्च, 2016 को होना निर्धारित हुआ है ।
- (iv) कुछ और विशेष व्याख्यानों/ भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/ विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा की योजना भी बनाई गई है।

III. परीक्षाएं/ प्रवेश:

- (i) उपर्युक्त अवधि के दौरान सेमेस्टर के अंत में एलएल.एम. के 1/2/3 वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- (ii) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरा हो जाएगा तथा परीक्षाएं होंगी ।
- (iii) साइबर कानून तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के ऑन लाईन पाठ्यक्रमों का क्रमशः 23वां बैच और 34वां बैच मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा।

22. भारतीय बार काउंसिल (बी.सी.आई.)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय बार काउंसिल को अन्य बातों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण व शिष्टाचार के मानदंड निर्धारित करने तथा देश में विधि शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ताओं के तौर पर नामांकन करने के लिए प्राधिकरण हैं, राज्य बार काउंसिलें और भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ताओं में अनुशासन का प्रवर्तन करती हैं। भारतीय बार काउंसिल अनुशासनात्मक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर कार्य करती है।

(2) भारतीय बार काउंसिल सदस्यों को परिचालित कार्यसूची के अनुसार नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है। इन बैठकों में, काउंसिल धारा 26(1) के अधीन उन मामलों में निष्कासन की कार्यवाहियां भी करती है, जिनमें अन्यथा कथन अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर किसी व्यक्ति नामांकन किया गया हो; और राज्य बार काउंसिलों से धारा 26(1) के अधीन प्राप्त ऐसे निर्देशों का निपटान भी करती है, जिनमें राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी कारणवश नामांकन के आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया होता है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48(क) के अधीन उन मामलों में पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई और निर्णय भी करती है, जिन मामलों में अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार की शिकायतों को राज्य बार काउंसिल द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया होता है।

23. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

(1) **प्रस्तावना:** संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान की स्थापना भारत के संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1956 को हुई थी।

(2) **डिप्लोमा पाठ्यक्रम:** यह संस्थान संसदीय फेलोशिप कार्यक्रम और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक संवैधानिक विधि में तथा दूसरा संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में चलाता है। संस्थान द्वारा संचालित 3 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और एक-एक वर्ष के हैं। तीनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शाम को संस्थान परिसर में लगती हैं। चूंकि संस्थान का अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए तीनों पाठ्यक्रमों के लिए व्याख्यान देने के लिए बाहर से अतिथि व्याख्याता बुलाए जाते हैं। चालू अकादमिक वर्ष 2015-16 के लिए इन तीनों पाठ्यक्रमों के दाखिले जून-जुलाई, 2015 में किए गए और तीनों पाठ्यक्रमों में कुल 50 छात्रों को नामांकित किया गया। जुलाई,

2015 के अंतिम सप्ताह के दौरान छात्रों के हित के लिए आयोजित एक प्रवेश कार्यक्रम के बाद, दिनांक 24 अगस्त, 2015 से इन पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं।

आगामी गतिविधियाँ
(दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम : चालू अकादमिक सत्र 2015-16 के तीनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद फरवरी-मार्च, 2016 में आयोजित की जाएंगी।

24. आयकर अपीलीय अधिकरण(आई.टी.ए.टी.)

(1) **उद्गम :** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

(2) **गठन :** आयकर अधिनियम, 1961 में यह भी उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड 2 में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद कम-से-कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम-से-कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकर्म का कम-से-कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम-से-कम तीन वर्ष तक (अपर) आय-कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो।

(3) **सदस्यों और कर्मचारियों की कमी:** देशभर के 27 शहरों में स्थित 63 बेंचों के लिए अधिकरण के सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 126 है, जिनमें से केवल 95 सदस्य पदस्थ हैं और आज की तारीख में सदस्यों के 31 पद रिक्त हैं। अधिकरण वर्तमान में अध्यक्ष के नेतृत्व में है तथा 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 9 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक (1) पद, उपाध्यक्ष के 6(छह) पद तथा सदस्यों के चौबीस (24) पद रिक्त हैं।

(4) शक्तियां और कृत्यः

(i) आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरुद्ध अपील और आयकर अधिनियम के अध्याय-XX-क के अधीन संपत्ति के अर्जन के आदेशों के विरुद्ध अपील का निपटान करता है।

(ii) आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

(5) प्रक्रिया और नियम :

(i) अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

(ii) तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन-कर, दान-कर और व्यय-कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण-प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपनी पूरी योग्यता से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर-दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

(iii) सामान्यतः अपीलों की सुनवाई एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बने न्यायपीठ द्वारा की जाती है। तथापि, समुचित मामलों में अध्यक्ष के विवेक से किसी न्यायपीठ में दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

(iv) जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें लाखों रूपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

(6) अपीलों का लंबन :

(i) वर्ष 2015 की शुरुआत में 100567 अपीलें लंबित थीं और दिनांक 1 जनवरी, 2016 को आयकर अपील अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 95669 है। वर्ष 2014 और 2015 में सदस्यों की संख्या, दाखिल हुई अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की संख्या और लंबित अपीलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	सदस्यों की संख्या	दाखिल की गई अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें
2014	68	46652	29817	100567
2015	95	39748	44644	95669

(ii) निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव-सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :-

वर्ष	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	41648	49353	47617
2010-2011	44250	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46031	31886	88643
2014-2015	45072	30494	103238
2015-2016 (1.1.2016 तक)	28878	36445	95669

(7) लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयास:

(i) सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करें और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार से भी यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार के सभी मामलों को बारी से पहले निपटान हेतु पोस्ट करने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाया जाए। इसके अतिरिक्त, धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती तथा अपीलों को निपटान के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 10 दिसंबर, 2015 के परिपत्र फा.सं. 279/विविध.142/2007-आईटीजे(पार्ट) के अनुसरण में, राजस्व की 5652 अपीलों का निपटान किया गया जिनमें 10 लाख रुपये तक का कर नियत किया गया था।

एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2015	1129
फरवरी, 2015	1091
मार्च, 2015	1085
अप्रैल, 2015	3639
मई, 2015	2305
जून, 2015	4380
जुलाई, 2015	3979
अगस्त, 2015	3482
सितम्बर, 2015	3483
अक्टूबर, 2015	3188
नवम्बर, 2015	2833
दिसम्बर, 2015	2590

(ii) धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2015	512
फरवरी, 2015	502
मार्च, 2015	495
अप्रैल, 2015	476
मई, 2015	474
जून, 2015	463
जुलाई, 2015	427
अगस्त , 2015	405
सितम्बर, 2015	359
अक्टूबर, 2015	349
नवम्बर, 2015	315
दिसम्बर, 2015	311

(iii) आरंभ में, सदस्यों के 126 स्वीकृत पदों में से केवल 68 सदस्य कार्य कर रहे थे, और इसीलिए कुछ पीठों के नियमित रूप से कार्य नहीं करने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तत्पश्चात, जुलाई से सितंबर, 2015 के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण में 31 नए सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया। तदनुसार, अगस्त, 2015 से लंबित मामलों की संख्या कम होनी शुरू हो गई है।

(iv) सदस्यों की अपर्याप्त संख्या के कारण अधिकरण के कई पीठों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण वादकारियों को कठिनाई हो रही है तथा लंबित अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह अधिकरण के लिए घोर चिंता का विषय बन गया है। अतः आयकर अपीलीय अधिकरण में न्याय प्रदायन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-न्यायालयों/ ई-न्यायपीठों को शुरू करने की जरूरत है। इससे कार्य नहीं कर रहे पीठों में भी काम शुरू हो सकेगा और उनमें लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। तदनुसार, राजकोट पीठ को अहमदाबाद पीठ से जोड़ा गया है और वहां वीडियो-कानफ्रेंसिंग के जरिये ई-न्यायालय द्वारा अपीलों की सफलतापूर्वक सुनवाई शुरू हो गई है और केवल दो माह के भीतर 300 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने जबलपुर पीठ में एक और ई-न्यायालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(v) वर्ष 2015 के दौरान, विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधिकरण में 39748 अपीलें दाखिल हुईं और अधिकरण ने 44644 अपीलों का निपटान किया, जिससे पता चलता है कि आयकर अपीलीय अधिकरण अपना काम कुशलतापूर्वक कर रहा है क्योंकि निपटान का प्रतिशत 112.32% है। 126 सदस्यों में से 31 सदस्यों की कमी होने के बावजूद, अधिकरण लंबित मामलों की संख्या को कम करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

(8) कम्प्यूटरीकरण :

आयकर अपीलीय अधिकरण में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

(9) उपलब्धियां :

(i) **आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना:** यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की

स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर इन-हाउस लगाया गया है तथा फाइबर ऑप्टिक केबल तकनीक पर एक विशेष तेज गति के 4 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन से जोड़ा गया है।

(ii) **आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइट :** आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद-सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है।

(iii) **एन.आई.सी. ई-मेल :** आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्यों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/ निजी सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई-मेल खाते बनाए गए हैं। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई-मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच स्वीकृति हासिल कर रहा है और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

(iv) **आधारिक संरचना का उन्नयन :** आयकर अपीलीय अधिकरण को हमेशा से लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है । तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं ।

(10) भविष्य की परियोजनाएं

(क) वेब एप्लीकेशन्स का पुनर्विकास और ई-फाइलिंग शुरू करना

- (i) आयकर अपीलीय अधिकरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन्स को अधिक सूचना उपयोगी, प्रयोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल और दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें रीवेप करने पर विचार करता रहा है । इसके अलावा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने संसदीय राजभाषा समिति को आश्वासन दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को पूरी तरह से द्विभाषी बनाएंगे। आयकर अपीलीय अधिकरण अपने आयकर अपीलीय अधिकरण के ऑनलाईन डाटा को नेशनल जूडीशियल रेफरेंस सिस्टम (एनजेआरएस) परियोजना के साथ बांटने के आयकर विभाग के अनुरोध से सहमत हो गया है, जिसके लिए हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ प्रावधान करने होंगे ।
- (ii) तदनुसार, उपरिलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण ने द्विभाषी परियोजना के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है । आयकर अपीलीय अधिकरण ने इस परियोजना में एक नए माड्यूल सिटीजन टू गवर्नमेंट (सी2जी) माड्यूल अर्थात 'ई-फाइलिंग' को भी शामिल किया है जिससे वादकारी अपने घर से ही अधिकरण के समक्ष अपनी अपील और आवेदन ऑनलाईन दाखिल कर सकते हैं तथा इससे एसएमएस, ईमेल और मोबाइल एप्लीकेशन्स के द्वारा सूचना का प्रसार किया जा सकता है । इस परियोजना में, उचित समय पर न्यायालयों के कामकाज को कागज-विहीन कर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है ।
- (iii) इस परियोजना का विकास एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल कार्यदायी एजेंसी को पहले ही सौंप दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पहले ही शुरू की जा चुकी है और वेब-एप्लीकेशन, ई-फाइलिंग मोड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन संभवतः चार से पांच महीने में शुरू कर दिए जाएंगे।

(11) आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन : आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरु, जयपुर और लखनऊ में कार्यालय-सह-आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को सीडीए, कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू-खंड आबंटित किया है। इन स्थानों पर भवन निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं।

(12) सदस्यों के लिए सुविधाएं : माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के मामले में वर्ष 1998 की विशेष अनुमति याचिका (एल) एमओएस 6905/1998 व टीपी (सी) सं० 659 और 672-673 में दिनांक 19.9.2003 के अपने आदेश में सरकार को यह निदेश दिया था कि आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएं और आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा सदस्यों को उक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

(13) हितकारी निधि : आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

(14) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

यह अधिनियम आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है।

(15) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

(i) आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिन्दी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की आयकर अपीलीय अधिकरण के मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

- (ii) न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।
- (iii) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
- (iv) इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिन्दी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है, जो राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत तक है।
- (v) सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

25. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.)

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफ.ई.एम.ए.), 1999 की धारा 18 के अधीन की गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित किए गए या धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति या केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण में अपील की जा सकती है। व्यथित व्यक्ति द्वारा यह अपील आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर और शास्ति की राशि जमा करने के बाद दाखिल की जा सकेगी।

(2) कलेंडर वर्ष 2014 के दौरान यह अधिकरण मात्र 49 मामलों का ही अंतिम निर्णय कर सका था और विभिन्न आवेदनों पर लगभग 69 अंतरिम आदेश पारित किए जा सके थे। तथापि, वर्ष 2015 के दौरान, अधिकरण द्वारा 77 मामलों का निर्णय किया गया है और विभिन्न अंतरिम आवेदनों जैसे कि विलंब संबंधी आवेदनों, पूर्व जमा राशि की छूट, पुनः बहाली आदि पर 165 अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। वर्ष 2015 के दौरान, अधिकरण ने अभी तक के सबसे अधिक निपटान किए हैं और संभवतः यह एकमात्र अधिकरण है, जहां किसी वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या उस वर्ष में दाखिल होने वाले मामलों से अधिक है। यह अधिकरण एक राष्ट्रीय

अधिकरण है, जहां देशभर के वकील, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं, पेश होते हैं। कर्मचारियों और निधि की विकट कमी के बावजूद यह अधिकरण अपने दो नियमित क्रियाशील पीठों के साथ सबसे व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान रजिस्ट्री में 76 नए मामले प्राप्त हुए हैं। दिसंबर, 2014 के अंत में लंबित मामलों की कुल संख्या 927 थी। यह भी उल्लेखनीय है कि टैक्समैन और मनुपत्र जैसे विधि के जर्नलों में महत्वपूर्ण आदेश/निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगले तीन माह में इस अधिकरण का लक्ष्य लगभग 30 मामलों का गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय करने का है। यह अधिकरण अपनी एक वेबसाइट बनाने पर भी कार्य कर रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और संभवतः यह वेबसाइट आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। पुस्तकालय के प्रस्ताव, कर्मचारियों की पुनर्व्यवस्था, वित्तीय शक्तियां प्रदान करने आदि का काम जारी है।

(3) अधिकरण की संरचना :

अधिकरण की संरचना इस प्रकार है:-

<u>अधिकारी का नाम</u>	<u>दूरभाष सं०</u>
1. न्यायमूर्ति विनय कुमार माथुर, माननीय अध्यक्ष	011-23316359
2. डॉ० एच. के. मुदगिल, माननीय सदस्य	011-23738154
3. श्रीमती शारदा जैन, माननीय सदस्य	011-23711710
4. श्री जगन्नाथ, सहायक विधि सलाहकार/ पंजीकार, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी	011-23714281
5. श्री राकेश कुमार, निजी सचिव, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	011-23738154

जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2015 के वर्ष के दौरान, नई दाखिल हुई और लंबित अपीलों को दर्शाते हुए अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों का वार्षिक विवरण (माहवार)

	31.12.2014 के अंत में लंबित अपीलों की कुल संख्या 927 थी	इस अवधि के दौरान दाखिल की गई नई अपीलों की संख्या	अंतिम रूप से निपटाई गई अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान लंबित अपीलों की कुल संख्या
	(क)	(ख)	(ग)	(क+ख)-ग
जनवरी, 2015	927	08	05	935-05=930
फरवरी, 2015	930	03	01	933-01=932
मार्च, 2015	932	15	04	947-04=943
अप्रैल, 2015	943	09	02	952-02=950
मई, 2015	950	19	02	969-02=967
जून, 2015	967	05	02	972-02=970
जुलाई, 2015	970	04	17	974-17=957
अगस्त, 2015	957	02	05	959-05=954
सितंबर, 2015	954	01	01	955-01=954
अक्टूबर, 2015	954	02	06	956-06=950
नवम्बर, 2015	950	08	25	958-25=933
दिसंबर, 2015	933	--	07	933-07=926
कुल		76(दाखिल हुई)	77(निपटाई गई)	926

नोट:- वर्ष 2015 के दौरान अधिकरण द्वारा विभिन्न आवेदनों पर लगभग 165 अंतरिम आदेश भी पारित किए गए हैं।

26. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

(1) शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण :-

प्रशा.IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात केंद्रीय सचिवालय सेवा(सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा

(सीएससीएस) का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। प्रशासनिक मामलों के संचालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(2) **डिजिटल इंडिया** - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) **लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)**

लिम्ब्स न्यायालयों के मुकदमों की व्यापक, विनियामक और सक्रिय निगरानी के लिए एक आसान वेब आधारित उपकरण है।

लिम्ब्स एक वेब-आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं वाले सभी प्रयोक्ताओं के लिए और सभी प्रशासनिक स्तरों के लिए एक कॉमन एक्सेस पोर्टल है अर्थात् इसमें फाइल प्रस्तुत करने वाले सहायक से लेकर प्रबंधन के शिखर तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है। लिम्ब्स में न्यायालय में चल रहे मुकदमों के विवरण जानने के लिए डाटा-एंट्री स्क्रीन दी गई है जिसे सभी प्रयोक्ता बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुकदमों की प्रगति के बारे में प्रविष्टि की जा सकती है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टों से मुकदमों को मॉनीटर करने में मदद मिलती है। ई-डाक्यूमेंट वॉल्ट में प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसलों की प्रविष्टि कर सकते हैं। एस.एम.एस. एलर्ट के जरिये प्रयोक्ताओं को महत्वपूर्ण मामलों की सूचना दी जाती है।

लिम्ब्स एप्लीकेशन में एक वृहद डाटा रहेगा, जिसमें विभिन्न पणधारी शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी इस डाटा के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। इसमें सुनवाई के डाटा का पहले से पता चल सकेगा जिससे प्राधिकारी अपने जवाब पहले से तैयार कर सकेंगे।

(ii) **एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा भागिता और अभिगम्यता नीति)**

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में बांटने योग्य डाटा और सूचना को देशभर में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय-समय पर अद्यतन करके भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के भीतर उपलब्ध कराना है, ताकि उससे सार्वजनिक डाटा और सूचना तक जनसाधारण की अधिकाधिक पहुंच हो सके और उसका अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभ:-

- (क) अधिकतम उपयोग
- (ख) दोहराव से बचाव
- (ग) अधिकतम समेकन
- (घ) स्वामित्व की जानकारी
- (ङ) बेहतर निर्णय लेना

(iii) ई-ऑफिस

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) सरकारी कार्रवाई की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
- (ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक-चार्टर की मांगों को पूरा करना।
- (ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।
- (घ) कार्रवाई में होने वाले विलम्ब को कम करना।
- (ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।
- (च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

(3) निर्णय लेने के स्तरों को कम करना - कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(4) पेंशन मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई - पेंशन मामलों में ऑनलाइन कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

27. सतर्कता संबंधी गतिविधियां :-

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होता है, जिसे मुख्य सतर्कता अधिकारी कहा जाता है और जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में सतर्कता एकक के अध्यक्ष श्री दिनेश भारद्वाज, अपर सचिव हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी

इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

- उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना जहां कदाचार/प्रलोभन की संभावना रहती हो तथा शासकीय कृत्यों के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय करना ;
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण सलाह प्राप्त करना; और
- दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और मात्रा के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना ।

(2) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रहा। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया । दिनांक 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया ।

28. लिंग आधारित मुद्दे :

विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात् विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए गठित शिकायत समिति को, जिसका दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 129 के तहत पुनर्गठन किया गया था, वर्ष 2015-16 में भी जारी रखा गया है । इस समय, उक्त समिति की अध्यक्ष विधि कार्य विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में अपर सचिव श्रीमती सुषमा सूरी हैं । उक्त समिति का कार्य प्राप्त शिकायतों, यदि

कोई हों, का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना है। इस समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी होती है, जिसे विधि कार्य विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधि कार्य विभाग को और विधायी विभाग के कर्मचारियों के संबंध में सचिव, विधायी विभाग को प्रस्तुत किया जाना होता है। उक्त समिति को एक तीसरे पक्ष, या तो किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य निकाय, जिसे इस विषय की जानकारी अथवा अनुभव हो, को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी अधिकार प्राप्त है।

29. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ से संबंधित मुद्दे :-

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.7.1997 के का० जा० सं० 36025/3/97-स्था० (रिजर्व) के साथ पठित उनके दिनांक 18.2.1997 के आदेश सं० 26035/16/91-स्था० (एससीटी) के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उप विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार, केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता, अधीक्षक (विधि), सहायक (विधि) और कनिष्ठ केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता के पदों को चिह्नित किया गया है, जिन पर निम्नलिखित अशक्तताओं वाले व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा :-

- (i) आंशिक रूप से बधिर;
- (ii) एक टांग प्रभावित;
- (iii) दानों टांगे प्रभावित; लेकिन बांहें प्रभावित नहीं;
- (iv) एक बांह प्रभावित (बायीं या दायीं)
 - (क) विकृत पहुंच;
 - (ख) कमजोर पकड़;
 - (ग) गतिविभ्रमता;

(2) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए 100 बिंदुओं वाला एक रॉस्टर रखा गया है।

(3) दिनांक 1.1.2016 की स्थिति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-IV** में दिया गया है।

30. विधि और न्याय मंत्रालय में महिला कर्मचारियों की संख्या का विवरण **उपाबंध-V** में दिया गया है।

31. विधि कार्य विभाग

दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान अधिकारियों के विदेश दौरों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	देश	अवधि	दौरे का प्रयोजन
1.	श्री पी.के.मल्होत्रा	विधि सचिव	न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	02 से 06 फरवरी, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 62वें सत्र में भाग लेना।
			दोहा, कतर	12-13 अप्रैल, 2015	13वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और दंडिक न्याय कांग्रेस में भाग लेना।
			सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	27-30 मई, 2015	5वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेना।
			वियना, आस्ट्रिया	29 जून से 3 जुलाई, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के 48वें वार्षिक सत्र में भाग लेना।
			लंदन, यूनाइटेड किंगडम	4 से 6 नवंबर, 2015	विधि के क्षेत्र को विदेशी वकीलों के लिए खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
2.	श्री सुरेश चंद्र	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	अल्जीयर्स, अल्जीरिया	10-12 मई, 2015	भारत और अल्जीरिया के बीच सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एम.ए.एल.टी.) को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा में भाग लेना।
3.	श्री इन्द्र कुमार	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	सिंगापुर	23-24 अप्रैल, 2015	माल की अंतरराष्ट्रीय बिक्री (सीआईएसजी) संबंधी संयुक्त राष्ट्र कंवेन्शन के 35वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेना।
4.	श्रीमती जोया हाइके	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	सिंगापुर	26-30 अक्टूबर, 2015	विवाद समाधान प्रणालियों पर एस.सी.पी.टी.ए. पाठ्यक्रम में भाग लेना।
5.	श्री मोहम्मद शरीफ तारिक	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	आस्ट्रिया (वियना)	7 से 11 सितंबर, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के अधीन कार्यकारी समूह-II (माध्यस्थता और सुलह) के 63वें सत्र में भाग लेना।
6.	श्री एम. खंडेलवाल	अपर सरकारी अधिकृता	सेंट पीटर्सबर्ग, रूस	27 से 30 मई, 2015	5वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय विधि फोरम में भाग लेना।

7.	श्री आर. के. श्रीवास्तव	उप विधि सलाहकार	ऑस्ट्रिया (वियना)	7 से 11 सितंबर, 2015	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएल) के अधीन कार्यकारी समूह-II (माध्यस्थ्य और सुलह) के 63वें सत्र में भाग लेना।
8.	डॉ. आर. जे. आर. काशीभाटला	उप विधि सलाहकार	वियना, ऑस्ट्रिया	6-7 जनवरी, 2015	भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पर्क समूह की दूसरी बैठक में भाग लेना।
			लंदन, यूनाइटेड किंगडम	21 जनवरी, 2015	भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पर्क समूह की तीसरी बैठक में भाग लेना।
			ओटावा, कनाडा	9-15 अप्रैल, 2015	भारत-कनाडा द्विपक्षीय निवेश संधि के पाठ पर वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ।
			वियना, ऑस्ट्रिया	1-5 जून, 2015	अष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन (यूएनसीएसी) के कार्यान्वयन समीक्षा समूह (आईआरजी) की बैठक के छठे सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ।
			पेरिस (फ्रांस)	15-17 अक्टूबर, 2015	अष्टाचार विरोधी समूह की तीसरी बैठक और अष्टाचार पर जी-20 एसीडब्ल्यूजी/एफटीएफ विशेषज्ञों की पांचवीं बैठक में भाग लेना।
			सेंट पीटर्सबर्ग (रूस)	2 से 4 नवंबर, 2015	अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर खुले अंतरसरकारी विशेषज्ञ बैठक के चौथे सत्र और कार्यान्वयन समीक्षा समूह की छठी बैठक में भाग लेना।
9.	श्री वाई. के. सिंह	उप विधि सलाहकार	लंदन, यूनाइटेड किंगडम	4-6 नवंबर, 2015	विधि के क्षेत्र को विदेशी वकीलों के लिए खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
10.	श्री राघवेंद्र सिंह श्रीनेत	सहायक विधि सलाहकार	हांगकांग	26-29 अक्टूबर, 2015	यूएनसीआईटीआरएल-एशिया प्रशांत न्यायिक सम्मेलन में भाग लेना।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विधि कार्य विभाग में दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से 17 सितंबर, 2015 तक चलाई गई गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां
1.	विधि कार्य विभाग में स्वच्छ भारत अभियान दिनांक 26.9.2014 को शुरू हुआ। इस दिन माननीय विधि और न्याय मंत्री जी ने शास्त्री भवन परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर इसका शुभारंभ किया और विधि सचिव ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
2.	श्री सुरेश चंद्र, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार को नोडल अधिकारी के तौर पर नामित किया गया।
3.	दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को प्रातः 09.45 बजे विधि सचिव द्वारा विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई गई। विजय चौक/राजपथ पर आयोजित प्रधानमंत्री की स्वच्छता रैली में बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विभाग के शाखा सचिवालयों और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों से भी स्वच्छ भारत अभियान पर शपथ लिए जाने की रिपोर्ट मिली है।
4.	नोडल अधिकारी द्वारा शास्त्री भवन की भवन समन्वय समिति के साथ निकट समन्वय करके विभाग में स्वच्छता अभियान की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है तथा दिनांक 15.10.2014 को उन्होंने उक्त समिति की बैठक में भी भाग लिया।
5.	चालू स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में दिनांक 19.11.2014 को 'विश्व शौचालय दिवस' मनाया गया और शास्त्री भवन में चतुर्थ तल, 'ए' विंग के कॉरिडोर में वाशरूम के कोने में डस्टबिन रखवाई गई है तथा विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत साफ-सफाई रखने तथा जन-सुविधाओं के उचित प्रयोग के बारे में जागरूक करने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया।
6.	कार्य स्थलों की नेमी सफाई, पुराने और काम में न आने वाले रिकार्ड और फाइलों की छंटाई का काम और तेजी से किया गया तथा इस बारे में काफी सुधार नजर आया। गलियारों और शौचालयों की साफ-सफाई की नियमित रूप से जांच की जाती है।

7.	शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छता की शपथ ली गई और कार्यालय परिसर में सफाई की गई। वहां हर दूसरे शनिवार को सफाई अभियान चलाया जाता है।
8.	दिसंबर, 2014 में पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग के नवीकरण तथा पुस्तकालय की 1607 पुरानी किताबों की नीलामी/छंटाई का काम पूरा हुआ। मार्च, 2015 में शास्त्री भवन के चतुर्थ तल में बंदरों को घुसने से रोकने के लिए मजबूत ग्लिफ फेंसिंग और दरवाजे लगाने का काम पूरा हुआ।
9.	शास्त्री भवन परिसर में पड़े पुराने और अप्रयुक्त वाहनों को प्रक्रिया के अनुसार हटाया गया/नीलाम कर दिया गया।
10.	मुख्य सचिवालय और शाखा सचिवालयों में स्वच्छ भारत अभियान के अधीन अनुकरणीय कार्य और पहल के लिए अनुभाग/शाखा/कार्यालय स्तर पर पुरस्कार देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू करने का भी सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया। इसमें एक पुरस्कार (नकद या वस्तु रूप में) और प्रशंसा-पत्र दिया जा सकता है। इस बारे में अधिकारियों के एक दल द्वारा पुरस्कार का स्वरूप और प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है और उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
11.	किराए पर लिए गए पुराने और लीक कर रहे लगभग 45 एयर कंडीशनरों (स्प्लिट और विंडो) को बदलकर उनकी जगह नए एसी लगाए गए हैं। 35 पुराने कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों को भी बदला गया है और नए कंप्यूटर लगाए गए हैं।
12.	इस विभाग के तीस हजारी न्यायालय स्थित परिसर में पड़े पुराने फर्नीचर और अन्य अनावश्यक पुराने सामान को दिनांक 25 जुलाई, 2015 को नीलाम कर दिया गया।
13.	शास्त्री भवन में इस विभाग के पुराने फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों को अगस्त 2015 के अंतिम सप्ताह में नीलाम कर दिया गया। गैराज सं. 26 का नवीकरण पूरा किया गया जिसका उपयोग अक्टूबर, 2015 के प्रथम सप्ताह से राजभाषा एकक द्वारा किया गया।
14.	रिकार्ड कक्ष के कुछ हिस्से को खाली करके वहां एक सम्मेलन कक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जाना है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इसके लिए लघु शीर्ष और रखरखाव शीर्ष के अधीन निधि उपलब्ध है।
15.	बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (बीएएस) के पुराने चार्जर्स की जगह नए चार्जर लगाए गए हैं।

संविधान दिवस

हमारे संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 26 नवंबर, 2015 को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया और भारत के संविधान के विषय में भाषण/वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके सगरस्त नागरिकों को :

सांसाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपाराना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

अध्याय - 2

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है :-

- (i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना।
- (ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना ; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं।
- (iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टें तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है।
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना।
- (v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना।
- (vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना।
- (vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है।
- (viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना।
- (ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है।

- (x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना।
- (xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन।
- (xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन।
- (xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार।
- (xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन।
- (xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय।
- (xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले।
- (xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान।
- (xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना।
- (xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।

1.2 विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

- (क) विधायी विभाग का **राजभाषा खंड** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

- (ख) **विधि साहित्य प्रकाशन** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध VI** पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्यवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -

- (क) सांविधानिक संशोधन।
- (ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां।
- (ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान।
- (घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और
- (ङ) प्रकीर्ण विधियां।

4. 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए

विधायी प्रस्तावों वाले 100 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 47 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है :-

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
2.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
3.	कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015
4.	बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015
5.	नागरिता (संशोधन) विधेयक, 2015
6.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2015
7.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015
8.	वित्त विधेयक, 2015
9.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015
10.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2015
11.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2015
12.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015
13.	विनियोग विधेयक, 2015
14.	अप्रकटित विदेशी आय और आरिस्त (कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015
15.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
16.	विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015
17.	विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2015
18.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2015
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015
20.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015
21.	सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2014
22.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2015
23.	परकाम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015
24.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015
25.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
26.	निरसन और संशोधन (तृतीय) विधेयक, 2015
27.	बेनामी संव्यवहार (संशोधन) विधेयक, 2015
28.	परकाम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 के अध्यादेश. 6 के स्थान पर)

29	निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015
30	विनियोग (रेल) सं. 3 विधेयक, 2015
31	भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2015
32	विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015
33	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015
34	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
35	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2015
36	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015
37	भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015
38	मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
39	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
40	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015
41	उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
42	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
43	चीनी उपकरण (संशोधन) विधेयक, 2015
44	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2015
45	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2015
46	दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक, 2015
47	राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

5. 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से में एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित 26 विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :

अधिनियम का संक्षिप्त नाम	
1.	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 1)
2.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 2)
3.	मोटर यान अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 3)

4.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 4)
5.	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 5)
6.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 6)
7.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 7)
8.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 ;2015 का अधिनियम सं. 8 द्व
9.	विनियोग अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 9)
10.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 10)
11.	कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.11)
12.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.12)
13.	विनियोग (रेल) सं. 2 अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.13)
14.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 14)
15.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 15)
16.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 16)
17.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 17)
18.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 18)
19.	निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 19)
20.	वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 20)
21.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 21)
22.	काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 22)
23.	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 23)
24.	विनियोग (रेल) सं. 3 अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 24)
25.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 25)
26.	परकाम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 26)

6. संविधान संशोधन अधिनियम

1	संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 (1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते तथा उसके प्रोटोकॉल, जिसके अधीन भारत कोई निश्चित क्षेत्र अधिगृहित कर सकता है तथा कोई निश्चित क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित भी कर सकता है, को प्रभाव में लाने के लिए)
---	---

7. अध्यादेश

विधायी विभाग ने नौ अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान प्रख्यापित किए गए थे:-

अध्यादेश सं.	संक्षिप्त भीर्शक
1	नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 1)
2	मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 2)
3	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का 3)
4	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4)
5	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 5)
6	परकाम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 6)
7	परकाम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 7)
8	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का 8)
9	मध्यस्थ और सुलह (संशोधन), अध्यादेश 2015 (2015 का 9)

8. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत 2 विनियम जारी किए गए:

विनियम सं.	संक्षिप्त नाम
1	दादरा और नागर हवेली मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2015; 2015 का १)
2	दमन और दीव मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2015; 2015 का 2)

9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2967 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

10. पुरानी विधियों का निरसन:

- (i) निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 17) 35 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।
- (ii) निरसन और संशोधन अधिनियम (द्वितीय), 2015 (2015 का 19) 90 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।
- (iii) विनियोजन (निरसन) अधिनियम, 2015 758 विनियोजन अधिनियमों को निरसित करने के लिए लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा राज्य सभा में लंबित है।
- (iv) निरसन और संशोधन (तृतीय) अधिनियम, 2015, 295 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।
- (v) अधिनियमों की संख्या, जिनके निरसन के लिए मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं— 422

11. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त, 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारु रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

(6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुर्नभुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

12. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- (iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952
- (iv) परिसीमन अधिनियम, 2002
- (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005
- (vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फ़र्स्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने छियासठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम

तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निर्वाचन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यतंत्र, गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, जिससे विधायी निकायों की प्रत्येक सीट अत्यधिक मूल्यवान हो गई है।

(3) निरंतर बदलते परिवेश में, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

(4) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु, 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात, भारत के विधि आयोग ने 2015 में 'निर्वाचन सुधारों' पर अपनी 255वीं रिपोर्ट पेश की। विधायी विभाग ने 'निर्वाचन सुधारों' पर 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

13. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

वर्ष 1982 में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग दो दशक से भी ज्यादा समय में सार्वदेशिक हो पाया और वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को, भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से संयुक्त रूप से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् ईसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद) और बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर) के साथ मिलकर 1989 में विकसित किया गया था।

(2) वर्ष 1998 से उनका बार-बार प्रयोग एक अभूतपूर्व सफलता सिद्ध हुआ है। प्रथम चरण का आकलन वर्ष 2000 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में अंतःस्थापित अभिकल्प धारणा एवं सॉफ्टवेयर इन दो कंपनियों द्वारा विकसित किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. पी.वी. इन्द्रेसन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समर्थन और मूल्यांकन के बाद इसके लिए पेटेंट दाखिल करवा दिया गया है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता को कई चुनावों में जांचा गया है। न्यायिक निर्णयों द्वारा भी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता का समर्थन किया गया है।

(3) स्वामित्व एकक होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन कहीं भी आसानी से उपलब्ध होने वाला उत्पाद नहीं है। इसलिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रापण न केवल खुले टेंडर द्वारा अव्यावहारिक है बल्कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें ई सी आई एल तथा बी ई एल द्वारा विकसित और निर्मित की गई थीं

(4) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के अब तक के प्रापण का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :-

क्रम सं०	खरीद का वर्ष	कुल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	1989-90	150000	750000000
2.	2000-2001	142631	1499880443
3.	2001-2002	135481	1422900000
4.	2002-2003	190592	2006100000
5.	2003-2004	336045	3530000000
6.	2004-2005	125681	1315400000
7.	2006-2007	250000	2893742332
8.	2008-2009	180000	1900000000
9.	2009-2010	100000 जमा 27000 बैलेट यूनिट	1139294685
10.	2013-14	382876 जमा 251651 बैलेट यूनिट	3116900000
11.	2015-16	-	2555780633
	योग	1610430 ईवीएम जमा 409876 बैलेट यूनिट जमा 251651 सीयू	22129998093

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान ई वी एम का कोई प्रापण नहीं किया गया।

14. मतदान फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का उपयोग धीरे-धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक

बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति का प्रबोधन करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान-पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान-पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं -

- (i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।
- (ii) मतदाताओं को अपने फोटो की प्रतियां देने की अनुमति है जोकि मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए स्कैन की जाती हैं।
- (iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।
- (iv) मतदाताओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करने तथा ईपीआईसी बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।
- (v) मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को सूचित करने हेतु विशेष प्रचार अभियान चलाये गये हैं।
- (vi) यह निर्देश जारी किये गये हैं कि एक बार जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान-पत्र नंबर मतदाता का पता बदल जाने की दशा में भी उसके जीवनपर्यंत वैध रहेगा।

(3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध अद्यतन डाटा के अनुसार निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	राज्य का नाम	ईपीआईसी %
रा.01	आंध्र प्रदेश	100.00
रा.02	अरुणाचल प्रदेश	99.99
रा.03	असम	88.21
रा.04	बिहार	95.69
रा.05	गोवा	98.29
रा.06	गुजरात	99.99
रा.07	हरियाणा	100.00
रा.08	हिमाचल प्रदेश	100.00
रा.09	जम्मू एवं कश्मीर	89.54
रा.10	कर्नाटका	99.34
रा.11	केरल	100.00
रा.12	मध्य प्रदेश	100.00
रा.13	महाराष्ट्र	92.84
रा.14	मणिपुर	100.00
रा.15	मेघालय	100.00
रा.16	मिजोरम	100.00
रा.17	नागालैंड	98.62
रा.18	उड़ीसा	97.66
रा.19	पंजाब	100.00
रा.20	राजस्थान	99.79
रा.21	सिक्किम	100.00
रा.22	तमिलनाडु	100.00
रा.23	त्रिपुरा	100.00
रा.24	उत्तर प्रदेश	99.98
रा.25	पश्चिम बंगाल	100.00
रा.26	छत्तीसगढ़	97.37
रा.27	झारखण्ड	97.81
रा.28	उत्तराखण्ड	100.00
रा.29	तेलंगाना	100.00
सं.01	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	94.70
सं.02	चण्डीगढ़	99.95
सं.03	दादर एवं नागर हवेली	100.00
सं.04	दमन एवं दीव	97.69
सं.05	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	100.00
सं.06	लक्षद्वीप	100.00
सं.07	पुडुचेरी	99.99
	संपूर्ण भारत	98.36

15. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2015 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 220 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 21 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ-पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को सम्प्रेषित किए गए थे। फाईल किए गए 21 नए मामलों में से 3 और पहले से लम्बित 3 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 235 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।

16. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2015-16 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटारा किया है :

क्र. सं.	कारबार का मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	223
2.	राज्य सभा प्रश्न	120
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	17
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	10
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	2
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	—
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	21
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	13
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	9

17. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति का गठन दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को 11 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। वर्ष 2015 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की दो बैठकें 20 मई, 2015 तथा 15 दिसंबर, 2015 को आयोजित की गईं।

18. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की (समवर्ती सूची) - सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्यवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आवंटित किए गए हैं:-

- (क) विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्तकग्रहण; विल; निर्वसीयता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;
- (ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर), विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ;
- (ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;
- (घ) अनुयोज्य दोष;
- (ङ) शोधन अक्षमता और दिवाला ;
- (च) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;
- (छ) साक्ष्य और शपथ;
- (ज) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थता शामिल है;
- (झ) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान ।

19. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 43 रिपोर्टों को मानीटर एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

20. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

14वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेदों 102 (1) (क) और 191(1)(क) के प्रयोजन से "लाभ का पद " अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में व्यापक परिभाषा सुझाने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा यथेष्ट विचार-विमर्श करने और हितधारकों एवं राज्य सरकारों से साक्ष्य जुटाने के बाद "लाभ का पद " अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए संविधान में संशोधन की संस्तुति की गई है । तदनुसार "लाभ का पद की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाई", विषय पर मंत्रिमंडल के लिए एक ड्राफ्ट नोट तथा साथ ही "लाभ का पद " अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भारत का संविधान में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक इस विभाग में तैयार किया गया है तथा

सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके मत/टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से टिप्पणी अभी प्रतीक्षित हैं।

21. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान आठ नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

22. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित उनसठ संदर्भों का परीक्षण किया गया है।

23. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। इस समय डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय आई.एल.डी.आर. की पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान आई.एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:

- (i) केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि का बुनियादी पाठ्यक्रम;
- (ii) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

(2) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम अर्थात् विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम, अठारहवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा विधायी प्रारूपण में पहले रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया है।

24. विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैनात अधिकारियों के लाभ हेतु 10 जुलाई, 2015 से 9 अक्टूबर, 2015 के दौरान विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, केरल, गोवा तथा कर्नाटका के चौदह प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया तथा पाठ्यक्रम पूर्ण किया।

25. अद्वारहवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम

19 जनवरी से 2 फरवरी, 2015 के दौरान अद्वारहवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों आदि के उनतालीस अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

26. प्रथम रिफ्रेशर पाठ्यक्रम

20 अप्रैल, 2015 से 19 मई, 2015 तक पहले रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा दिल्ली के सात प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

27. ऑन-दि-जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण

संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा सचिवालय द्वारा आयोजित तीसवें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 फरवरी, 2015 से 13 मार्च, 2015) के दौरान चेक रिपब्लिक, अल-सल्वादोर, एस्टोनिया, इथोपिया, घाना, हंगरी, जमैका, जार्डन, इंडोनेशिया, केन्या, कज़ाकिस्तान, लेसोथो, लिथुआनिया, मांगोलिया, म्यांमार, नौरु, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलीस्तीन, पान अफ्रीकी संसद, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैण्ड, तंजानिया और यूक्रेन के प्रशिक्षु अधिकारियों को आई.एल.डी.आर. द्वारा विभाग के आई.एल.एस. अधिकारियों के साथ संबद्ध करके ऑन-दि-जॉब प्रशिक्षण दिया गया।

(2) आई.एल.डी.आर. की स्थापना तथा देश में विधायी परामर्शी वर्ग को दी गई उल्लेखनीय सेवा के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी, 2015 को रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

(3) आई.एल.डी.आर., विधायी प्रारूपण के कौशल में रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा विधायी विभाग के कार्य की प्रकृति के विषय में जानकारी बढ़ाने हेतु विधि छात्रों के लिए स्वैच्छिक प्रशिक्षण योजना चलाता है।

(4) विधायी विभाग के आर.एफ.डी. को तैयार करके अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय में कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) आर.एफ.डी. के प्रबंधन और कार्य की जांच करता है। विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर.एफ.डी. 2014-15 के अनुसार कार्य किए गए। विभाग द्वारा आर.एफ.डी. 2014-15 में किए गए वादे के रूप में, आई.एल.डी.आर. आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी। परिणामस्वरूप, एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) विकसित किया गया तथा आई.एल.डी.आर. में शामिल किया गया। तत्पश्चात्, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा की गई तथा अंततः आई.एल.डी.आर. में क्यूएमएस के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर आई.एल.डी.आर. को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र दिया गया।

28. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर “सूचना का अधिकार” शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता aa.rti.legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio.rti.legis@nic.in है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय-वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय-सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 2015-16 ;1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार छह सौ छियालिस (1646) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी नवासी (89) प्रथम अपीलों का उनके गुण-दो ाों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के अनवरत प्राप्त हो रहे रुझानों को देखते हुए वर्ष 2015-16 की शेष तीन माह की अवधि के दौरान चार सौ और आवेदन प्राप्त होने की उम्मीद है। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2015 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 5683/- रु. अर्जित किए हैं।

29. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख-रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख-रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2015 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 13 राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख-रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ; विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभागद्ध तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं

तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 तक के संशोधन अधिनियमों सहित केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा केंद्रीय अधिनियमों की सूची ;वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसारद्ध को भी निकनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडिया कोड की वेबसाइट का पता है <http://indiacode.nic.in>

(2) वर्ष 2015 के दौरान शुद्धि अनुभाग में संसद के छब्बीस अधिनियमों की गजट प्रतियां तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से, शुद्धि अनुभाग ने चार प्रमुख अधिनियम तथा 13 संशोधन अधिनियम प्राप्त किए। इस अनुभाग ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए नौ अध्यादेश प्राप्त किए।

क. वर्ष 2015 में प्राप्त किए गए प्रमुख अधिनियम हैं:-

1. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11)
2. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22)
3. निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 17)
4. निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का 19)

ख. वर्ष 2015 के दौरान एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित प्राप्त संशोधन अधिनियम हैं:-

1. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 1)
2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 2)
3. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 3)
4. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 4)
5. बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 5)
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10)
7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 12)
8. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 14)
9. भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 16)
10. संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 18)
11. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 21)
12. दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 23)
13. परकाम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 26)

* संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015

ग. इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए अध्यादेश:-

1. नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 1)
2. मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 2)
3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का 3)
4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4)

5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 5)
6. परकाम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 6)
7. परकाम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 7)
8. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का 8)
9. मध्यस्थम और सुलह (संशोधन), अध्यादेश 2015 (2015 का 9)

(3) संसद के अधिनियमों के आधार पर, प्रमुख अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2015 के दौरान, जो अधिनियम संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए हैं, उन्हें लागू किए जाने की तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि संबंधित अधिनियम की मास्टर प्रतियों में उचित स्थान पर कर दी गई है।

30. राजपत्र अधिसूचनाएं

मई, 2015 तक शुद्धि अनुभाग में प्राप्त सभी, भारत की राजपत्र अधिसूचनाओं को संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया है और इनकी प्रविष्टियां संबंधित रजिस्ट्रों में दर्ज कर दी गई है।

31. राज्य अधिनियम

वर्ष 2015 के दौरान कुल 211 राज्य अधिनियम और 55 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्ट्रों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

32. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण-I और मुद्रण-II) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय-वस्तु और उपाबंध, जहां-जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् वे विधायी-अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। इसके पश्चात्, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित 'पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, 'लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, 'दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, 'अनुमति प्रति' प्रक्रम, 'हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए-4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए-4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को

लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है ।

(2) विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है ।

(3) 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण-। तथा मुद्रण-॥ अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :-

- (क) कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015, संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 का प्रक्रमण और अधिनियमन ।
- (ख) 107 विधेयकों, 9 अध्यादेश तथा 3 संवैधानिक आदेशों, 2 विधायनों, 1 गजट के प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई ;
- (ग) भारत का संविधान की कम्प्यूटर प्रिंटआउट तथा मुद्रित प्रतियों के 8एवीओ साइज़ की जांच की गई ।
- (घ) संसद के 26 अधिनियमों का संपादन तथा जांच की गई ।
- (ङ) केन्द्रीय अधिनियमों के 11 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों की जांच की गई ।
- (च) वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच की गई ।
- (छ) वर्ष 2012 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच की गई ।

33. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी । किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख-रखाव करें । केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

(2) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई - गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी वेबसाइट पर रखें । समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तरापृष्ठीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित

मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा ।

(3) सा.का.नि.आ.अनुभाग भारत के राजपत्र के अधीन विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जारी साधारण कानूनी नियमों और आदेशों के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्ट्रों के रख-रखाव का कार्य करता है और शासकीय प्रयोजन के लिए उन्हें पुस्तक रूप में संकलित भी करता है । दिसंबर, 2013 तक के साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित रजिस्ट्रों में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुसार प्रविष्टि की जा चुकी है ।

(4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) ने वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के द्वारा जारी किए गए अधीनस्थ विधायन संबंधी भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां दिसंबर, 2014 तक छंट ली हैं तथा जिल्द के लिए तैयार कर ली हैं ।

(5) अधीनस्थ विधायनों के अन्तर्गत विभिन्न गजट अधिसूचनाओं की प्रविष्टियां, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्ट्रों में कर दी गई हैं ।

(6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भाग-II खण्ड 4, उप खण्ड (i) और (ii) (साधारण और असाधारण) और भाग-II खण्ड 4 (साधारण और असाधारण) दिसंबर, 2014 के लिए प्राप्त अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां छंटी ली गई हैं तथा जिल्द के लिए तैयार कर ली हैं ।

34. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों-आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट-पूर्व विचार-विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है । भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है । यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्बलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है । विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है ।

(2) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है । यह अनुभाग निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत निधियों को निर्गत करता है:

- (क) **निर्वाचन कार्यालय :** यह निर्वाचन स्टाफ के वेतन सहित दिन प्रतिदिन के स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित है। इस व्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमण्डल वाले) के बीच 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाता है ।
- (ख) **निर्वाचक नामावली को तैयार करना और उसका मुद्रण :** यह, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (विधानमण्डल वाले) द्वारा किए गए निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण पर उपगत व्यय को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण से संबंधित है ।
- (ग) **लोकसभा के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार :** चुनाव जब स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है किन्तु जब यह राज्य विधान मण्डल चुनावों के साथ आयोजित किए जाते हैं तो खर्च को दोनों के द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाता है।
- (घ) **संसद (राज्य सभा) के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार:** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
- (ङ) **मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना -** यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाता है और यह एक आवर्ती व्यय है ।
- (च) **इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई वी एम) पर व्यय और राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों पर व्यय :** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

35. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है !

(2) भारत का संविधान का संशोधित संस्करण (अंग्रेज़ी तथा हिंदी पाठ) जिसमें सभी नए संशोधन सम्मिलित हैं, का 9 नवंबर, 2015 को मुद्रण किया जा चुका है तथा 1985 तक के केन्द्रीय अधिनियमों को डिग्लॉट रूप में भारत संहिता के पुनरीक्षित संस्करण में प्रकाशित किए जाने के लिए संकलित कर दिया गया है।

(3) वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का पुस्तिका के रूप में मुद्रण कर लिया गया है तथा वर्ष 2012 और 2013 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का संकलन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।

(4) 10 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करणों की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मिलित हैं, को तैयार और उनकी जांच की गई है, तथा आगे की कार्रवाई हेतु मुद्रण अनुभाग को भेज दी गई है।

36. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा नीति के संबंध में सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

(क) विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :-

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र को क्रमशः 91.1, 72 तथा 63.2 से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज, संविदाएं, नोटिस आदि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

(ख) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को अधिसूचित किया गया है। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की

कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें क्रमशः 23 मार्च, 2015 (पहली), 17 जून, 2015 (दूसरी), 25 अगस्त, 2015 (तीसरी) और 23 दिसंबर, 2015 (चौथी) को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशित माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशित, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के यह पाठ्यक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 9 सितम्बर से 23 सितम्बर, 2015 तक एक “हिंदी पखवाड़े” का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 2500/- रुपए, 2000/- रुपए, 1500/- रुपए और 500/- रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 को

आयोजित किए गए पुरस्कार वितरण समारोह में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 66,000/- रुपये के 78 नकद पुरस्कार वितरित किए गए ।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तीन प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं । पहली योजना हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए है जिसके अधीन वर्ष के दौरान दस कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते । दूसरी योजना अंग्रेजी के उन आशुलिपिकों/टंककों के लिए है जो हिंदी आशुलेखन/टंकण का भी कार्य करते हैं । तीसरी योजना उन अधिकारियों के लिए है जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी श्रुतलेख देते हैं । पहली तथा दूसरी प्रोत्साहन योजना के लिए क्रमशः 10,600/- रुपये तथा 1,920/- रुपये के नकद पुरस्कार कर्मचारियों को दिए गए थे । इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था । जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

पत्राचार, कर्मचारियों आदि से सम्बन्धित ब्यौरे उपाबंध-VII पर हैं ।

37. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :-

- (i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन ;
- (ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;
- (iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था ;
- (v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद ;
- (vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद ;
- (vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद ;
- (viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं ;
- (ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण ;
- (x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूपता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य;
- (xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य ;
- (xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;
- (xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;
- (xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुसंधान ; तथा
- (xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन ।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरुआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है । विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं । नवीन 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ है तथा इसमें सात भागों में लगभग 65,000 प्रविष्टियां हैं । राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है ।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं।

26 नवंबर, 2015 को पहले संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत का संविधान का विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ था।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) का कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्यवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 25 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2353 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 83 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेज़ी पाठ के साथ संसद के सदन को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 12 अध्यादेशों, 7 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 22 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए आधार

अधिकथित करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 24724 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 3728 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया हैट सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अधीन किया गया है।

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख-रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इण्डिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर उन्हें मुद्रित कर दिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 7 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित किए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

- (क) 21 अद्यतन केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट संस्करण) की प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी ; तथा
- (ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं। इस वर्ष, केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।
- (ग) मुद्रण से संबंधित कार्य विशेष रूप से इस अनुभाग द्वारा किया गया।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के

संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टें, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्पूर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 20 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 12 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त, विधि शब्दावली (7वां संस्करण) तथा भारत का संविधान (हिंदी) (रॉयल 8 वीओ साइज) का प्रकाशन किया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2604 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है। जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 37 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 48 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 20 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और

महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिंदी सलाहकार समिति का गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014-रा.भा.खण्ड(वि.वि.) द्वारा तीन वर्ष की अवधि अथवा वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल की अवधि के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। बारहवीं हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक का आयोजन 7 जुलाई, 2015 को उदयपुर, राजस्थान में किया गया। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :-

- (i) केंद्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना।
- (ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास।
- (iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना।
- (iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन।
- (v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषंगिक और सम्बन्धित विषय।
- (vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। न्यायमूर्ति श्री एच.आर. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 2014-2015 के लिए 16 स्वैच्छिक संगठनों को रु 9,50,000/- की राशि की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड का यू आर एल <http://lawmin.nic.in/olwing> है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। भर्ती नियमों/अधिसूचनाओं आदि की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने हेतु राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

(2) भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है।

(3) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। राजभाषा खंड के समूह 'क' अधिकारियों के नामों, पत्तों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

(4) विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

38. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में “विधि साहित्य प्रकाशन” नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे “उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका” नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे “उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका” नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, “उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका” को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् “उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका” और “उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका” में विभाजित कर दिया गया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दंडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :-

- (क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ;
- (ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;
- (ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना ;
- (घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और
- (ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टता हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं । प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं ।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं । विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी

(हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है ।

(6) “विधि साहित्य समाचार” नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है । इसे दिसंबर, 2014 तक अद्यतन किया गया है । एक “प्रकाशन सूची” भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती है ।

(7) **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन :** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर “उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका” जुलाई-सितंबर, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है और “उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका” जनवरी-मार्च, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है तथा “उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका” जनवरी-मार्च, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है ।

वर्ष 2015 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	145
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	140
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	138

(8) **पुरस्कार प्रदान करना:** हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठ्य पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) विधि की पांच शाखाओं में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2015 में हिंदी में विधि की 13 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों पर रु 4,00,000/- के पुरस्कार प्रदान किए गए।

(9) **पुस्तकों का प्रकाशन :** विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा अब तक हिन्दी में 34 मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

(10) **संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय :** संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के पश्चात, वर्ष 2015 में विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली; पटना, भागलपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, उदयपुर के जिला न्यायालयों, पटियालय हाउस, तीसहजारी, पटियाला हाउस, द्वारका, राहिणी, कड़कड़डूमा तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में पुस्तकों की प्रदर्शनियां लगाई गईं। इन प्रदर्शनियों में, वकीलों ने विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों में रुचि दिखाई तथा उनकी सराहना की।

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 15,18,271/- रुपए (पंद्रह लाख अठ्ठारह हजार दो सौ इकहत्तर रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

39- अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेशी दौरे : विधायी विभाग

वर्ष 2015-16 के दौरान कोई अधिकारी विदेशी दौरे पर नहीं गया।

40. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

(2) विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या (01.01.2016 के अनुसार) दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (उपाबंध—VIII तथा IX)

41. प्रधान लेखा कार्यालय

(1) संगठन और कृत्य

सचिव, प्रमुख लेखा प्राधिकारी होते हैं जो कि संबंधित विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से यह उत्तरदायित्व निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा संगठन का नेतृत्व करते हैं तथा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के माध्यम से सचिव को रिपोर्ट करते हैं। लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड और आठ वेतन एवं लेखा कार्यालय शामिल हैं।

(2) प्रधान लेखा कार्यालय प्रशासनिक और समन्वय के सभी कार्य संपादित करता है तथा मंत्रालय के खातों के समन्वयन सहित लेखा संबंधी सभी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। प्रधान लेखा कार्यालय के लेखा संबंधी कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं—

- (1) विनियोजन लेखा का प्रस्तुतीकरण,
- (2) केंद्रीय लेन—देन की विवरणी का प्रस्तुतीकरण,
- (3) सी.जी.ए., वित्त मंत्रालय तथा डी.जी., केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा को केंद्रीय वित्त लेखा के लिए सामग्री का प्रस्तुतीकरण,
- (4) राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को ऋण तथा अनुदान का भुगतान,
- (5) पी.ए.ओ./सी.डी.डी. को चेक बुक उपलब्ध कराना,
- (6) सी.जी.ए. तथा अधिकृत बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना। अधिकृत बैंक के माध्यम से मंत्रालय की ओर से किए गए सभी भुगतानों तथा प्राप्तियों की जांच करना और मिलान करना,
- (7) आर.बी.आई. के साथ मंत्रालय से संबंधित खातों का रख—रखाव तथा नकद शेष का मिलान करना,
- (8) वित्त तथा लेखा संबंधी विषयों पर विभाग को सलाह प्रदान करना,
- (9) प्रबंधन लेखा प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नियमावली तैयार करना,
- (10) तथा संपूर्ण समन्वयन और लेखा एवं प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित रखने के लिए सी.जी.ए. कार्यालयों के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।

(3) वेतन एवं लेखा कार्यालय में तैयार की गई लेखांकन सूचना, प्रधान लेखा कार्यालय में समेकित की जाती है तथा तत्पश्चात्, मंत्रालय/विभाग को और सरकार के समेकन के लिए सी.जी.ए. को भेजी जाती है।

(4) वेतन एवं लेखा अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के कार्य:—

वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के लिए डीडीओ और सीडीडीओ की नियुक्ति करके अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा अधिकृत बैंकों को जारी किए गए "साख

पत्र" के आधार पर वेतन एवं लेखा अधिकारी सीडीडीओ को एक निश्चित सीमा तक निधि परिचालित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(5) सीडीडीओ सामान्यतः उन स्थानों पर कार्य करता है जहां वेतन एवं लेखा अधिकारी उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, सीडीडीओ की शक्तियां वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, जीपीएफ (ग्रुप "डी") भुगतान तक ही सीमित होती हैं। सहायता अनुदान तथा राज्य सरकारों को ऋण के मामले में, वेतन एवं लेखा अधिकारी स्वीकृति के आधार पर सलाह जारी करते हुए आर.बी.आई., नागपुर के माध्यम से भुगतान प्राधिकृत करता है। भारत की समेकित निधि में से भुगतान प्राधिकृत करते समय वेतन एवं लेखा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- (क) यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निधि का प्रावधान हो जिसमें सीमा-निर्धारण हो जिसके अंतर्गत ही व्यय वहन किया जा सके,
- (ख) यह कि व्यय वहन संविधान तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों एवं नियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वित्तीय नियमों एवं विनियमों के भी अनुरूप हो, तथा
- (ग) यह कि व्यय का प्राधिकार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित स्वीकृति, विशेष अथवा सामान्य, जैसा भी मामला हो, दी गई हो।

(6) वेतन एवं लेखा कार्यालय विभिन्न विभागों को सेवा प्रदान करता है। इन विभागों में डीडीओ तथा सीडीडीओ की तैनाती निम्नानुसार की गई है:

क्रम सं.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
1	वेतन एवं लेखा कार्यालय (ई.ओ.)	5	1
2	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एल.ए.)	28	12
3	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एस.सी.आई.)	1	0
4	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एल.डी.)	1	3
5	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) नई दिल्ली	3	23
6	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) कोलकाता	8	17
7	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) मुंबई	0	15
8	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) चेन्नई	0	14

- (1) समयबद्ध तरीके से भुगतान करने
- (2) पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य दावों का त्वरित निपटान करने

- (3) लेखों का संलग्न करने तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु संबंधित प्राधिकारियों को लेखाकरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराने

के लिए इस कार्यालय ने सरकारी लेखा एवं लेखा परीक्षा, गहन पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम की गत्यात्मकता, ई-लेखा, सतर्कता संबंधी मामलों, एस.क्यू.एल. तथा नेटवर्किंग, विजुअल बेसिक आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित अंतराल पर अपने कर्मचारियों के लिए 44 प्रशिक्षण/पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की है।

(7) लेखा एवं भुगतान कार्य

विधि एवं न्याय मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख प्रधान लेखा नियंत्रक हैं जिन पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय आकस्मिकता तथा किराए, दरों एवं करों जैसे वैयक्तिक दावों सहित समयबद्ध तरीके से भुगतान करने, एन.एस.डी.एल. पर एन.पी.एस. ग्राहक के अंशदान को अपलोड करने, विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों (पी.एफ.एम.एस.आई.) की निगरानी करने, वार्षिक विनियोजन लेखा, वित्तीय लेखा तथा लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व के केंद्रीय लेन-देन का विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। संबंधित मुख्य लेखा प्राधिकारियों, अर्थात् विधि सचिव, विधायी विभाग तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के महापंजीयक द्वारा विधिवत अनुमोदित वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट को समय पर तैयार कर महालेखा नियंत्रक तथा महानिदेशक (लेखा परीक्षा) को सौंप दिया गया था।

(8) ऋणों तथा ली गई अग्रिम राशि सहित व्यक्तिगत दावों का निपटान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिम राशि सहित पेशन एवं अन्य हकदारियों के व्यक्तिगत दावों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया गया। केंद्र तथा राज्यों के विभिन्न निकायों/संस्थानों को बिना किसी विलंब के अनुदान सहायता दी गई। निर्वाचन संबंधी व्यय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी शीघ्रतापूर्वक तय की गई ताकि भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर के माध्यम से संबंधित राज्यों को ऋण दिया जा सके। दावों तथा अन्य भुगतानों को निपटाते समय यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान इससे संबंधित प्रचलित नियमों, आदेशों तथा प्रावधानों के अनुरूप ही हो तथा धोखाधड़ी/अति भुगतान न हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन खातों से व्यय बजटीय आवंटन से अधिक न हों। विभिन्न यूनिटों की प्रतियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय के आंकड़ों के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्रतापूर्वक सूचित किया गया ताकि वो रिपोर्ट की अवधि के दौरान संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ उस कार्यालय के आंकड़ों का मिलान कर सकें।

(9) आंतरिक लेखा-परीक्षा

प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा मंत्रालयों/विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। इन कार्यालयों के अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा को चाहिए कि वह मंत्रालय/विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों से संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों की भी लेखा परीक्षा करें। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यकारी कार्यालयों में अनुरक्षित प्रारंभिक खातों की भी जांच करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लेखा तथा वित्तीय मामलों में नियमों तथा विनियमों, सिस्टम तथा प्रक्रियाओं का किस हद तक पालन हुआ। इस संवीक्षा में निधि खातों, ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित रिकॉर्ड सहित सभी लेखा रिकॉर्डों की जांच तथा स्टोर्स, उपकरणों, उपस्करों, प्लांटों आदि के वास्तविक सत्यापन से संबंधित परीक्षण शामिल होता है। हालांकि, कर्मचारियों की कमी के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी।

अध्याय -3

न्याय विभाग

1. संगठन एवं कार्य

न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय का एक भाग है। सचिव (न्याय) इसके अध्यक्ष है। संगठन के संरचनात्मक ढांचे में 4 संयुक्त सचिव, 6 निदेशक/उप सचिव और 7 अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग का स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 78 है जिसमें से 19 पद रिक्त हैं। इस विभाग में पदासीन वर्तमान 59 अधिकारियों में से 5 महिला अधिकारी/कर्मचारी (01 महिला परामर्शदाता सहित) कार्यरत हैं। कार्यरत कर्मचारियों की इस कमी को सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में न्याय विभाग में 07 परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ-साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-X** पर है।

दृष्टिकोण: न्याय प्रशासन को सुकर बनाना जो सभी के लिए न्याय की आसान पहुंच और समय पर वितरण सुनिश्चित करता है।

मिशन: उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के नियुक्तियों के सेवाएं, सुधार न्याय प्रदायगी की तरफ न्यायिक सुधारों के लिए न्यायालयों के आधुनिकण और प्रक्रियाओं, नीतियों सहित न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य:

- (i) उच्चतर न्यायपालिका में पर्याप्त न्यायाधीशों की संख्या प्रदान करना।
- (ii) न्याय प्रदायगी और न्याय सुधारों के लिए कार्यसूची तैयार करना और सुकर बनाना।
- (iii) न्यायिक ढांचे के विकास में सहायता करना।
- (iv) आईसीटी-समर्थता और न्यायालय कनेक्टिविटी को सुकर बनाना ।
- (v) विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाना ।
- (vi) वित्त आयोग(एफ सी) अनुदान के उपयोग को सुकर बनाना।
- (vii) उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सुकर बनाना ।

- (viii) गरीबों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के कार्यावयन के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना।
- (ix) संसाधन केन्द्र के रूप राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के उपयोग के सरलीकरण का समर्थन करना।

विभाग के कार्य

भारत सरकार (कार्य आवंटन नियमावली-1961, समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैं:-

- (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।
- (ii) राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।
- (iii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।
- (iv) उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किंतु इन न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क।
- (v) उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और आयोजन।
- (vi) संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और आयोजन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।
- (vii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।
- (viii) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।
- (ix) जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।
- (x) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।
- (xi) गरीबों को विधिक सहायता
- (xii) न्याय प्रशासन
- (xiii) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार तक पहुंच।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

क. भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) संख्या 31 है। 01.01.2016 को न्यायाधीशों की संख्या 26 है और न्यायाधीशों के पांच पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं।

न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिनांक 29.09.2014 को नियुक्त किया गया दिनांक 02.12.2015 को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर ने दिनांक 03.12.2015 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यभार संभाल लिया।

ख. उच्च न्यायालय

01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1044 है और पदासीन न्यायाधीशों की कुल स्थिति 601 है और न्यायाधीशों की 443 रिक्तियां भरे जाने के लिए शेष हैं। दिनांक 01.04.2016 तक की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, पद त्याग इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की 54 रिक्तियां हो गई थी। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या भी 998 से बढ़कर 1044 हो गई है। जैसा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू होने की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय में विचारधीन है अतः इस अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/ अतिरिक्त न्यायाधीशों की 15 नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसके अलावा, 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.05.2015 और 15.07.2015 के आदेशानुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों की सेवा अवधि समाप्त हो रही थी, उनकी सेवा अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के सभी प्रस्ताव कॉलेजियम प्रणाली द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ग. विधान:

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए (संविधान 121 वां संशोधन) विधेयक, 2014 'और ' राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014' नामक दो विधेयक लोक सभा द्वारा दिनांक 13.08.2014 को और राज्य सभा द्वारा दिनांक 14.08.2014 को पारित गए थे।

(2) अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टी किए जाने के पश्चात, इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित संविधान (121 वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को 31 दिसंबर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। दोनों अधिनियम दिनांक 13.04.2015 को अस्तित्व में आए।

(3) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014, 13.04.2015 को लागू होने के फलस्वरूप समाप्त हो गया।

(4) दोनों अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 16.10.2015 को अपना फैसला सुनाया और दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और अमान्य करने की घोषणा की। संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम को लागू करने से पहले मौजूदा रूप में कॉलेजियम प्रणाली, 2014 को ऑपरेटिव घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि, कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव दिए और 19.11.2015 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने 16.12.2015 को अपने फैसले की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों को शामिल कॉलेजियम का सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेंगे। प्रणाली में सुधार के लिए पात्रता, पारदर्शिता सचिवालय की स्थापना शिकायतों और विविध जैसे विभिन्न मानदंडों पर वृहत दिशा-निर्देशों सुझाव दिए गए हैं।

3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत 1993 में (17.08.1993 से प्रभावी) स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानो का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। उक्त सोसायटी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय का प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को मजबूत करना है।

(2) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा और साथ ही साथ शासी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित है। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक के 6 पद, अनुसंधान फेलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

(3) वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए सहायता अनुदान के रूप में 1074.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किशतों में 750.00 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 2014-15 की अग्रिम राशि के रूप में 152.52 लाख रूपए प्रतिधारित करने की भी अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अब तक कुल 902.52 लाख रूपए की स्वीकृत दी गई है।

(4) अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित खातों की जांच न्याय विभाग द्वारा की गई है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है।

4. विधान (दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2005)

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 ,में संशोधन करते हुए दिल्ली के जिला न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 20 लाख रूपए से बढ़ा कर 2 करोड़ रूपए करने की स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति से दिनांक 10.8. 2015 को प्राप्त करने के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को दिनांक 26.10.2015 से लागू कर दिया गया है।

(2) दिल्ली के जिला न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से दिल्ली उच्च न्यायालय का बोझ कम होगा और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में काफी सुधार होगा। 6 जिला न्यायालय परिसरों में स्थित 11 जिला न्यायालय आम जनता के लिए सुगम्य हो जाएंगे जिससे वादियों को उनके आसपास के क्षेत्र में घर के पास त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

5. कुटुंब न्यायालय

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए

कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

(2) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

- (i) इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उसके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान हैं;
- (ii) परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;
- (iii) सस्ता उपाय प्रदान करना; और'
- (iv) कार्यवाही के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण

(3) कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002-3 में केंद्रीय वित्त सहायता की योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार केंद्र सरकार कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक-बारगी अनुदान के रूप में 10 लाख रु. और योजनेत्तर के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में 5 लाख रु. की वार्षिक सीमा के अध्याधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रु. का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

(4) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्तमान में 438 कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं कुछ राज्यों ने सूचित किया है। कि और कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

(5) मार्च, 2015 में, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना के साथ कुटुंब न्यायालय योजना (प्लान) को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया। कुटुंब न्यायालय (गैर-योजना) योजना जिसके तहत जैसा कि अनुरोध किया गया था, राज्यों को कुल 2296.46 रुपए की राशि दी गई को 2016-17 में बंद कर दिया गया है क्योंकि यह संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है ।

6. न्याय क्षेत्र के बारे में 14 वॉ वित्त आयोग

न्याय विभाग का ज्ञापन

निम्नलिखित प्रस्तावों को न्याय विभाग द्वारा 14 वें वित्त आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्ताव न्यायालय सेवाओं के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने और न्यायालय प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित थे। इन प्रस्तावों में 9749 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय आवश्यकता के निम्नलिखित को हस्तक्षेप शामिल थे:

1. लंबित मामलों में कमी

(i) उन जिलों में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना जहाँ लम्बितमामलों की अधिकता है।

क) 6 राज्यों में 100% जिले ऐसे हैं जहाँ प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 500 मामलों से कम है जहाँ

ख) 6 राज्यों में 75% जिले ऐसे हैं जहाँ प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 500 मामलों से अधिक है, लेकिन 1000 मामलों से कम है

ग) 8 राज्यों में 50% जिले ऐसे हैं जहाँ जिलों की प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 1000 से अधिक है लेकिन 1500 मामलों से कम है

घ) 8 राज्यों में 25% जिले ऐसे हैं जहाँ प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 1500 से अधिक है।

(858.82 करोड़ रुपये)

(ii) निम्नांकित के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना:

क) हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, दहेज हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों के सभी मामलों

ख) वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी एड्स तथा अन्य टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित वादियों से जुड़े सभी सिविल मामले;

ग) 5 साल से अधिक समय के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और संपत्ति / किराए संबंधी विवादों से जुड़े सिविल विवाद।

(4144.11 करोड़ रुपये)

(iii) उन जिलों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना जहां ऐसे न्यायालय नहीं हैं।

क) देश में 672 जिलों के समक्ष 408 कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
235 अतिरिक्त अदालतों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(541.06 करोड़ रुपये)

(2) मौजूदा न्यायालय परिसरों को अधिक वादी अनुकूल बनाने के लिए उनकी रि-डिजाइनिंग करना

क) सुरक्षा सुनिश्चित करना और जोखिम कम करना: भूकम्पीय खतरों के जोखिम को कम करने के लिए न्यायालयों की डिजाइनिंग और रेट्रोफिटिंग,

ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त न्यायालय और न्यायालय कक्ष,

ग) कमजोर गवाहों के लिए बयान केन्द्रों की स्थापना।

(1400 करोड़ रुपये)

(3) आईसीटी सक्षम न्यायालयों के लिए तकनीकी सहायता में बढ़ोतरी

क) देश में आईसीटी सक्षम न्यायालयों हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए 1600 व्यावसायिकों की आवश्यकता

(479.68 करोड़ रुपये)

(4) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के केस रिकार्ड की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण

क) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लंबित हैं और निपटाए गए मामलों के मामले के रिकार्ड की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण,

ख) डिजिटल फ़ाइल का आउटपुट फ़ाइल प्रारूप पीडीएफ / ए होगा या डिजिटलीकृत रिपोजिट्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वाटर-मार्किंग और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी सुविधाओं के साथ इसकी उन्नत संस्करण

(752.50 करोड़ रुपये)

(5) न्याय की पहुँच बढ़ाना

(i) लॉ स्कूल के लिए समर्थन आधारित विधिक सहायता क्लीनिक (50.50 करोड़ रुपये)

(ii) लोक अदालतों का आयोजन (93.61 करोड़ रुपये)

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| (iii) | एडीआर केंद्रों में मध्यस्थता/सुलह के लिए समर्थन | (300 करोड़ रुपए) |
| (iv) | मध्यस्थों/परामर्शकों के लिए प्रोत्साहन | (503.44 करोड़ रुपए) |

(6) (क) न्यायाधीशों, सरकारी वकीलों, मध्यस्थों, वकीलों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: पुनश्चर्या, चल रही

(550 करोड़ रुपए)

(ख) मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना

(75 करोड़ रुपए)

14 वें वित्त आयोग को उपर्युक्त पहलों के लिए निधियों की कुल, राज्यवार, वित्तीय आवश्यकताओं से अवगत करा दिया गया।

(7) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश

14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में निम्नांकित सिफारिशें शामिल हैं:-

“11.44 केन्द्र सरकार में न्याय विभाग ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें लंबित मामलों को कम करना, मौजूदा न्यायालय परिसरों को वादी के अधिक अनुकूल बनाने के लिए फिर से डिजाइन करना, न्याय तक पहुंच और कार्मिकों का क्षमता निर्माण को बढ़ाना जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमने नोट किया है कि राज्यों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया और विचार करने के बाद 9749 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव का विवरण अनुबंध 11.2 पर दिया गया है। हम विभाग के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण में आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त वित्तीय छूट का उपयोग करें।

7. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना- कम्प्यूटरीकरण:

क. ई-कोर्ट प्रथम चरण

वर्ष 2007 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 441.80 करोड़ रुपए की लागत से दो साल की अवधि में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी वर्ष 2010 में लागत और समय की अधिक खपत को ध्यान में रखते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (मार्च 2012 तक 12,000 न्यायालय और 2014 मार्च

तक 2,249 न्यायालय) के कम्प्यूटरीकरण की योजना को 935 करोड़ रुपये के संशोधित बजट को मंजूरी दी। मंत्री मंडल ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए 08.05.2014 को मार्च, 2015 तक समय वृद्धि प्रदान की।

इ-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य, देश में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बना कर नागरिकों के लिए नामित सेवाओं जैसे मामलों के पंजीकरण की स्थिति, मामले की स्थिति, कारण सूची, दैनिक आदेश शीट और अंतिम आदेश/निर्णय प्रदान करना है। परियोजना के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं:

- क) मुख्य सँघटक: साइट तैयार करना, कंप्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), वान के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी, मानक आवेदन सॉफ्टवेयर की स्थापना, मामलों की डाटा एंट्री, तकनीकी जनशक्ति और सेवा का प्रारंभ।
- ख) अन्य सँघटक: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बिजली बैक-अप (यूपीएस और डीजी सेट), डिजिटल हस्ताक्षर, जिला न्यायालय वेबसाइटों, सेंट्रल डाटा सेंटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा में न्यायाधीशों के लिए इंटरनेट, आईसीटी उन्नयन के साथ लैपटॉप और प्रिंटर।
- ग) समर्थकारी सँघटक: परिवर्तन प्रबंधन और पुनःइंजीनियरिंग प्रक्रिया की पहल।
- घ) परिणाम: सुधार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में हर न्यायालय को एकीकृत कुशल और पारदर्शी सेवाओं की प्रदायगी।

नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में मामलों का पंजीकरण, मामले की स्थिति, कारण सूची, दैनिक आदेश पत्रक और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं।

(2) परियोजना की प्रगति: 31 मार्च, 2015 के अंत में 14249 न्यायालयों (100%) को कम्प्यूटरीकरण के लिए तैयार कर दिया गया है जिनमें से 13606 न्यायालयों (94.49%) में लेन अवस्थापित कर दिया गया है, 13436 न्यायालयों (94.03%) में हार्डवेयर, 13672 न्यायालयों (95.50%) में सॉफ्टवेयर संचालित हैं।

इस परियोजना की अन्य गतिविधियों पर प्रगति, नीचे दी गई है:

- क. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आईसीटी बुनियादी ढांचा अद्यतन किया गया।
- ख. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए।

- ग. सेवा प्रदायगी: राष्ट्रीय ई-न्यायालय पोर्टल (<http://www.ecourts.gov.in>) का संचालन शुरू हो गया है। पोर्टल पर इस समय 3 करोड़ लंबित और निर्णीत मामलों के बारे में, मामले की स्थिति संबंधी सूचना उपलब्ध है। पोर्टल पर सांख्यिकीय सूचना प्रदान करता है जिसे न्यायिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- घ. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड 5.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों और निर्णयों के बारे में और 24 उच्च न्यायालयों में से 22 के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित निर्णयों के संबंध में 1.75 करोड़ से अधिक आदेशों/मामलों की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।
- ड. परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण: सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन की आरंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूएनटीयू-लिनक्स ओएस के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है और न्यायालयों के 4000 से अधिक कर्मचारियों को मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर में प्रणाली प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सतत परिवर्तन प्रबंधन के लिए न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के स्तर पर मास्टर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- च. प्रक्रिया पुनःइंजीनियरिंग: सभी उच्च न्यायालयों में मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और रूपों का अध्ययन करने और इनके सरलीकरण के लिए सुझाव देने हेतु प्रक्रिया पुनःइंजीनियरिंग समितियों का स्थापित की गई हैं।
- छ. न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा: इ-कमेटी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत 5 जिलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग को सफलतापूर्वक लगाने के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण को देश भर में 495 न्यायालय परिसरों और उनकी तदनुसूची जेलों में लगाया जा रहा है।

(3) ई-कोर्ट द्वितीय चरण:

परियोजना के दूसरे चरण को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा जनवरी 2014 में (i) नए न्यायालयों, डीएलएसए/टीएलसी कार्यालयों, मौजूदा न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर; एसजेए में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के कंप्यूटरीकरण के व्यापक उद्देश्य के साथ न्यायालयों की आईसीटी समर्थता को आगे बढ़ाने के लिए; (ii) कनेक्टिविटी में सुधार, क्लाउड कंप्यूटिंग,

आईसीजेएस तत्परता (iii) न्यायालयों परिसरों में टच-स्क्रीन और प्रिंटर के साथ केंद्रीकृत फाइलिंग केन्द्र और कियोस्क (iv) डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, अधिगम प्रबंधन उपकरण, परिवर्तन प्रबंधन और वर्धित न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली; और (v) ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट गेटवे और मोबाइल अनुप्रयोग, वादी के चार्टर आदि को अंतिम रूप दिया गया था।

परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा सितंबर, 2014 में और कैबिनेट द्वारा जुलाई, 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस चरण का कार्यान्वयन अगस्त, 2015 में शुरू किया गया।

न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का प्राथमिक लाभ 'कार्यप्रवाह प्रबंधन का स्वचालन' होना है। इससे न्यायालयों को डॉकेट में मामलों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। अंत में, आईसीटी समर्थता से न्यायालयों का कामकाज कुशल बनेगा और न्याय प्रदायगी प्रणाली पर एक समग्र सकारात्मक असर पड़ेगा। ई-कोर्ट परियोजना के द्वितीय चरण में निम्नलिखित परिणाम हासिल होने की उम्मीद है: -

- (i) कम्प्यूटरीकरण अधिक से अधिक 5751 नई न्यायालयों के सभी विधिक सेवा
- (ii) प्राधिकरण कार्यालयों और मजबूत हार्डवेयर के साथ राज्य न्यायिक अकादमियों।
- (iii) प्रस्तावित अंतरसक्रियात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण सक्षम करने के लिए वैन और अतिरिक्त बेमानी कनेक्टिविटी के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के लिए देश के सभी न्यायालयों को कनेक्ट करना।
- (iv) इस तरह केंद्रीकृत दाखिल केन्द्रों और टच स्क्रीन आधारित कियोस्क के रूप में
- (v) नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रत्येक न्यायालय परिसर में आधारित हो।
- (vi) डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन, न्यायिक ज्ञान प्रबंधन और सीखने के प्रबंधन के माध्यम से एक मजबूत न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना।
- (vii) हाथ से आयोजित उपकरणों के माध्यम से प्रक्रिया सर्विसिंग में बेहतर बदलाव के प्रबंधन और प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के माध्यम से न्यायालों के निष्पादन को सुकर बनाना।
- (viii) ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और मोबाइल अनुप्रयोगों के उपयोग के माध्यम से ईसीटी समर्थकारी बढ़ाएँ।

8. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए

स्थापित किया गया था। मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढ़ाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में, नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर शामिल है।

(2) मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्यनीतिक क्षेत्रों में से प्रत्येक में कई कदम उठाए हैं। सभी राज्यों में सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के लिए अपनी याचिका नीतियां तैयार की हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य एजेंसियों द्वारा मुकदमेबाजी के प्रसार को नियंत्रित करने पर राज्य मुकदमेबाजी नीतियों के प्रभाव का आकलन करें। विधि कार्य विभाग ने राष्ट्रीय वाद नीति, 2015 तैयार की है जो सरकार के विचाराधीन है।

(3) न्यायिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्रक्रिया सेवा की न्याय की समय पर प्रदायगी के लिए एक बड़ी अड़चन के रूप में पहचान की गई है। सिविल और आपराधिक मामलों में प्रक्रिया सेवा में सुधार के लिए एक शोध पत्र तैयार किया गया और उच्च न्यायालयों में परिचालित किया गया। शोध पत्र में दिए गए सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया कई उच्च न्यायालयों से प्राप्त हुई है। न्यायालय की प्रक्रिया और मामला प्रबंधन की री-इंजीनियरिंग का विषय उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है। प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग मिशन मोड परियोजना के तहत की जा रही है। विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यस्थता केन्द्रों को जिला और तालुका स्तर पर न्यायालय परिसरों में स्थापित किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को सरकारी ठेके में विवाचन/मध्यस्थता खंड शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों / जजों की कमी न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग और लंबन के लिए मुख्य कारणों में से एक है। राष्ट्रीय मिशन ने नियमित रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ इस बात का प्रयास किया है। सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर 30 जून, 2015 को 20,358 हो गई है। मिशन अब मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ बात कर रहा है। सभी न्यायालय पदाधिकारियों के उचित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

(5) अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्यों की सहायता के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से चलाई जा रही है। इसमें न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय आवास के निर्माण का कार्य शामिल है। योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें 2011 तक बराबर बराबर अंशदान दिया करती थीं, लेकिन वर्ष 2011-12 से फंड का बंटवारा पैटर्न बदल गया और इसे संशोधित करके केंद्र सरकार का योगदान फंड का 75% कर दिया गया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में केंद्र सरकार 90% वित्त-पोषण प्रदान करती है। हालांकि, केंद्रीय वित्त पोषण इस योजना के लिए बजटीय आवंटन के अधीन है। चालू वित्त वर्ष में योजना (2015-16) के लिए 562.99 करोड़ रुपये का बजट आवंटन में से 542.62 करोड़ रुपए 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 से योजना के लिए फंड बटवारे का पैटर्न अब 75:25 से संशोधित करके 60:40 (केंद्र : राज्य) और 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए (90:10) कर दिया गया है। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 1993-94 से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4919.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 15,360 न्यायिक अधिकारियों के कार्यरत संख्या बल के समक्ष 15,558 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, 2679 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं।

(6) लंबित मामलों में कमी करने का अभियान जुलाई, 2011 में पहली बार शुरू किया गया था। उच्च न्यायालयों से वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों से संबंधित लंबी अवधि से लंबित मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया। 2012 में अभियान का ध्यान पांच साल से अधिक पुराने मामलों से न्यायिक प्रणाली को मुक्त बनाने पर केंद्रित था। 2013 में लंबित मामलों में कमी करने का अभियान न्यायिक प्रणाली से अप्रभावी और बेकार मामलों को बाहर करने पर केंद्रित था। 2014 में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने और मेगा लोक अदालत के आयोजन पर जोर दिया गया। विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का एक परिणाम स्वरूप विभिन्न न्यायालय में मामलों के लंबन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में सफलता मिली है। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 66,692 से घटकर 30/11/2015 को 58,879 रह गई है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 31.12.2012 को 44.34 लाख से घटकर 31.12.2014 को 41.53 लाख रह गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 2.68 करोड़ से घटकर 31.12.2014 को 2.64 करोड़ रह गई है।

9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

(2) हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को विधिक सेवाएं कार्यक्रम के प्रशासन और इसको लागू करने के लिए गठित किया गया है जहां तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है।

(4) नालसा का कामकाज

नालसा देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी फ्रेम और किफायती योजनाएं बनाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों, को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

- I. पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
- II. विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना और
- III. ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

I. निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: -

- क) कोर्ट फीस, फीस प्रक्रिया और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;
- ख) विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना;
- ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां की आपूर्ति।
- घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं: -

- i) महिलाएं और बच्चे;
- ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य
- iii) औद्योगिक कामगार
- iv) बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार
- v) विकलांग व्यक्ति।
- vi) हिरासत में व्यक्ति
- vii) व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में सीमा 1,25,000 रुपये) है।
- viii) तस्करी के शिकार मनुष्य और भिखारी

31.12.2014 तक महिलाओं, बच्चों, हिरासत में व्यक्तियों, व्यक्ति सहित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के कुल 1,77,85,875 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरणों अर्थात एसएलएसए/डीएलएसए/टीएलएसए/ विधिक सहायता क्लीनिक / ग्राम विधिक देखभाल और सहायता केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

कुछ राज्यों ने अधिसूचना द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए वार्षिक आय सीमा में 1.5 लाख रूपए तक वृद्धि की है। देश भर में इस सीमा को 2 लाख रूपए तक बढ़ाने के लिए नालसा द्वारा केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

न्यायिक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना

नालसा (शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के अनुसार अधिनियम की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल बेहद सक्षम विधिक सेवा प्रेक्टिसनरों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल पर नामांकित किया गया है। इस के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव बार में तीन साल है और पैनल वकीलों को उनकी क्षमता, ईमानदारी और उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। अधिकांश राज्यों में, विशेषज्ञ वकीलों का अलग पैनल का प्रावधान सिविल, आपराधिक, संवैधानिक कानून, पर्यावरण कानून, श्रम कानून, परिवार कानूनों आदि से संबंधित मामलों के विभिन्न प्रकारों के लिए बनाया जाता है। आवश्यकता पढ़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता को भी लिया जा सकता है यद्यपि वह पैनल में शामिल नहीं है। पैनल वकीलों को किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से जिसे उन के माध्यम से विधिक सेवाएं प्रदान की गई है, कोई शुल्क, पारिश्रमिक या किसी मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त करने की मनाही है।

फ्रंट ऑफिस

उपर्युक्त विनियमनों के अधीन, उन विधिक सेवा संस्थानों में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए जाते हैं जहाँ न्यायालय समय के दौरान एक पैनल वकील और एक अथवा अधिक अर्ध विधिक स्वयंसेवी द्वारा विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब विधिक सेवा संस्थानों में 2541 फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं जहां सितंबर 2015 तक 376911 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियमन, 2011 के अंतर्गत नालसा ने देश बीएचआर में प्रत्येक तालुका/उप मण्डल में एक गाँव में ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है। जुलाई, 2015 तक देश बीएचआर में 9604 ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पैनल वकीलों का प्रशिक्षण

अत्यधिक सक्षम वकीलों की टीम बनाने की द्रष्टि से, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू गोयल की अध्यक्षता में नालसा की समिति ने पैनल वकीलों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया जिसे 21-22 मार्च, 2015 को रांची में लोकार्पित किया गया है। यह महसूस किया गया कि उक्त माइयूल्स पर आधारित वकीलों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कुछ सक्षम व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो पैनल वकीलों को प्रशिक्षित करेंगे।

तदनुसार नालसा द्वारा 11-13 जुलाई, 2015, 25-27 जुलाई, 2015 और 22-24 अगस्त, 2015 के दौरान वकालत के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एचएल दत्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, नालसा द्वारा किया गया है। यह प्रशिक्षण बहुत सफल रहा और सदस्य सचिवों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र से पैनल वकीलों सहित लगभग 120 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

विधिक सेवा वकीलों के लिए शुल्क संरचना

विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल में प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध वकीलों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, यह महसूस किया गया कि विधिक सेवा वकीलों के लिए उपर्युक्त शुल्क संरचना की आवश्यकता है। तदनुसार 17-09-2015 को आयोजित केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक में यह संकल्प लिया गया कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा अदा किए जा रहे शुल्क की पर्याप्तता की जांच के लिए और भिन्न-भिन्न मामलों के लिए पैनल वकीलों को देय न्यूनतम समान शुल्क की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की जाए जिसमें श्री राजू रामाचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया जाए।

II. लोक अदालत

30-09-2015 की स्थिति के अनुसार अब तक देश भर में 15.14 लाख लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। इन लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व स्थिति के मामलों सहित 8.25 करोड़ मामलों का निपटान किया गया है। चूंकि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती इसलिए इन अनेक मामलों को औपचारिक न्यायालय तंत्र से स्थाई रूप से हटा दिया गया है।

III. विधिक साक्षरता और जानकारी

जानकारी के लिए उपयोग किए गए औजार

- सेमिनार, संगोष्ठी, अभिभाषण, चर्चा आदि आयोजित करना।
- इश्तेहार संवितरण।
- दूरदर्शन कार्यक्रम में भागीदारी, आकाशवाणी पर लघु गीतों का प्रसारण, टॉक शो और फोन-इन प्रोग्राम सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन।

- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में विधिक और सामाजिक मुद्दों तथा विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका पर आधे घंटे के नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम दूरदर्शन/अन्य चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
- नागालैंड, राजस्थान और दिल्ली जैसे अन्य राज्य प्राधिकरणों, एसएलएसए भी दूरदर्शन पर अलग-अलग अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।
- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आकाशवाणी पर इसी प्रकार के टॉक शो और फोन-इन प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं।
- जानकारी प्रसारित करने के लिए जन संपर्क के माध्यम से मोबाइल बाहु-उपयोगिता वाहन
- नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो आदि।
- कुछ राज्यों में श्रव्य-दृश्य साधन जैसे लघु डॉक्यूमेंटरी ।
- मादा भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि पर आधारित विधिक मुद्दों पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
- पेंटिंग/स्लोगन राइटिंग/ निबंध लेखन तियोगिता, वाद विवाद और डिकलेमेशन, काव्य प्रतियोगिता।

मौजूदा योजनाओं को और कारगर बनेने के लिए और उपेक्षित वर्गों की व्यापक व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए 07.11.2015 को सभी विधिक सेवा संस्थानों के लिए निम्नांकित नई योजनाएँ आरंभ की गई:-

- I. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (देह व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015
- II. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवाएँ) योजना, 2015
- III. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को बाल हितैषी विधिक सेवाएँ और उनका संरक्षण) योजना, 2015
- IV. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रोगी और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएँ) योजना, 2015
- V. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्नेूलन योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन) योजना, 2015

-
-
- VI. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015
 - VII. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशीली दवाओं से पीड़ित को कानूनी सेवाएँ और नशीली दवाओं के खतरों का उन्मूलन) योजना, 2015

तथ्य और आंकड़े

नालसा को आवंटित सहायता अनुदान और किया व्यय (ii) विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (iii) राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या और (iv) आयोजित लोक अदालतों की संख्या, मामलों का निपटारा और मुआवजा भुगतान संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए चार टेबल में क्रमशः देखे जा सकते हैं ।

सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रुपए)	संशोधित अनुमान (रुपए)	आवंटित निधियां(रुपए)	प्रयुक्त निधियां (रुपए)
2012-13	44,50,00,000	39,00,00,000	39,00,00,000	36,92,61,090
2013-14	100,00,00,000	100,00,00,000	80,44,45,560	60,41,69,112
2014-15	142,00,00,000	137,00,00,000	82,65,42,261	56,01,70,407
2015-16	145,00,00,000	120,00,00,000	67,97,00,000	51,90,00,000

व्यक्तियों की संख्या जो विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित हुए हैं

अवधि	एससी	एसटी	ओबीसी	महिला	बच्चे	हिरासत में	सामान्य	कुल
अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013	45,249	41,209	65,597	71,764	9,304	47,033	9,90,127	12,70,283
अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014	29,053	24,852	56,963	59,125	8,145	54,710	19,91,644	22,24,492
अप्रैल, 2014 से मार्च, 2014	27,443	22,995	60,695	56,500	9,019	56,904	18,53,400	20,86,956
कुल	1,01,745	89,056	1,83,255	1,87,389	26,468	1,58,647	48,35,171	55,81,731

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल निपटान

दिनांक	विषय	लिए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले	समाशोधित कुल राशि(रुपए)
14.02.2015	एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत बैंकिंग मामले	16,23,084	4,20,665	1858,86,94,863
14.03.2015	राजस्व, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण आदि	47,86,477	41,92,313	1365,26,90,578
11.04.2015	श्रम और परिवार मामले	9,28,349	5,31,872	366,04,33,969
09.05.2015 & 13.06.2015	एमएसीटी और बीमा दावे	4,71,928	3,18,724	951,55,85,479
11.07.2015	बिजली/ पानी/ दूरभाष / जन उपयोगिता विवाद	14,97,780	8,68,254	553,60,26,639
08.08.2015	एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत बैंकिंग मामले	12,01,893	3,53,167	1499,42,64,948
12.09.2015	मिश्र-योग्य आपराधिक मामले	8,97,462	5,71,741	4161,20,50,250
10.10.2015	यातायात,मामूली मामले, नगर निगम मामले	21,24,529	16,36,610	347,82,89,137
	कुल	1,35,31,502	88,93,346	7358,71,90,863

आयोजित लोक अदालतों, सुलझाए गए मामलों की संख्या और दिया गया मुआवजा

अवधि	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	सुलझाए गए एमएसीटी मामलों की संख्या	सुलझाए गए कुल मामलों की संख्या(एमएसीटी) सहित	एमएसीटी मामलों में दिया गया मुआवजा (रूपए)
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	94,870	79,106	62,59,388	1040,14,69,322
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	1,14,231	1,17,475	90,17,100	2940,60,33,442
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	1,81,493	1,32,937	2,75,05,397	2681,64,93,305
कुल	3,90,594	3,29,518	4,27,81,885	6662,39,96,069

विधिक साक्षरता जागरूकता शिविरों की संख्या

अवधि	विधिक साक्षरता जागरूकता शिविरों की संख्या
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	64,625
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	60,904
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	1,10,580
कुल	2,36,109

10 हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुँच

परियोजना की अवधि: जनवरी 2013-दिसम्बर, 2017

परियोजना राज्य: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि:

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार यूएनडीपी समर्थन के साथ 'हाशिए के लोगों के लिए न्याय के लिए उपयोग' के बारे में एक परियोजना को लागू कर दिया गया है। परियोजना के प्रथम चरण (2009-2012) में न्याय की आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है और इस प्रयास में, एक सीमा तक हितधारकों की और जमीनी स्तर दोनों पर नीति के स्तर पर हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया है। परियोजना में 7000 पैरा-विधिक और युवा वकीलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 2 लाख लोगों तक पहुँच बनाई गयी और सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार की गई। यूएनडीपी के समर्थन के साथ परियोजना का एक नया चरण 5 साल (2013-17) की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इस चरण में, इस परियोजना के पिछले चरण में प्राप्त परिणामों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

परियोजना फोकस:

- न्याय तक पहुँच के लिए और हाशिए पर समुदायों को सशक्त बनाने में बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीति के विकास के द्वारा गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच को मजबूत बनाना।
- गरीबों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय न्याय प्रदायगी संस्थानों की क्षमता का निर्माण।

परियोजना की गतिविधियाँ:

- (1) **अर्ध विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण**
ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ओडिशा में अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की इस परियोजना के लिए समर्थन मांगा और 300 अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
- (2) **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान में विधिक साक्षरता का समावेशन।**
 - परियोजना ने संकाय सदस्यों और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, उत्तर प्रदेश के संसाधन व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए हिन्दी में दो विधिक साक्षरता प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए गए।
- विधिक साक्षरता पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वयकों को प्रशिक्षण दिए गए।
- न्याय विभाग और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने परियोजना राज्यों में विधिक साक्षरता को मजबूत बनाने के लिए 2 जून 2015 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(3) बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में विधिक साक्षरता अभियान:

न्याय विभाग ने तीन साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 10 ब्लॉकों में एक विधिक साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए ग्रामीण विकास राज्य संस्थान के साथ एक एमओए पर हस्ताक्षर किए।

(4) महाराष्ट्र में सुधार गृहों में किशोरों के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना

महाराष्ट्र में टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने उन लोगों के लिए सामाजिक-विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सुधार गृहों में हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं जो किशोर न्याय प्रणाली का सामना कर रहे हैं। परियोजना टीआईएसएस द्वारा स्थापित किए गए हेल्पडेस्क को अपना समर्थन प्रदान कर रहा है।

(5) आवाज आधारित विधिक सूचना कियोस्क की स्थापना:

छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित 50 आवाज आधारित विधिक जानकारी कियोस्क विधिक जानकारी प्रदान करते हैं और आम जनता की विधिक जागरूकता बढ़ाते हैं।

(6) अभिनव विधिक सशक्तिकरण की पहल के लिए समर्थन

परियोजना की गतिविधियों को पांच एजेंसियों अर्थात् एड इंडिया, अन्त्योदय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा और टाटा समाज विज्ञान संस्थान के साथ शुरू किया गया है। ये अभिकरण तीन परियोजना राज्य झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण की पहल का आयोजन कर रहे हैं।

(7) लॉ स्कूल आधारित विधिक सहायताक्लीनिक

टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा ने हाशिए पर लोगों को समुदाय आधारित विधिक सहायता प्रदान की है।

(8) सीहोर, मध्य प्रदेश में विधिक जागरूकता अभियान:

भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 55 पंचायतों में विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। सीहोर जिले, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक तरीकों जैसे लोक थिएटर के माध्यम से विधिक जागरूकता और विधिक साक्षरता सक्षम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम।

(9) अनुसंधान और अध्ययन

विकास में भागीदार (पीलडी) दिल्ली में ट्रैक अदालतों का अध्ययन कर रहा है कि इन अदालतों की प्रक्रिया महिलाओं के लिए कितनी अनुकूल आकलन हैं। पायलट अध्ययन नीति में सुधार के लिए सिफारिश प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बलात्कार के मामले में अदालत के कमरे में प्रक्रियाओं की लिंग संवेदनशीलता की जांच कर रही है।

(10) बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम, 2012 के बारे में 10 लघु फिल्में

बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम, 2012 के बारे में 10 लघु फिल्में परियोजना एक स्क्रीनिंग गाइड और कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए दूसरे के साथ एक कानून पर प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए -खिलाफ बच्चों के संरक्षण पर दो लघु फिल्मों को विकसित करना है।

(11) एमओए ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ

परियोजना ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, संचार और आईटी मंत्रालय से एक प्रस्ताव मिला उनकी सामान्य सेवा केंद्र झारखंड में (सीएससी) के माध्यम से विधिक साक्षरता के प्रसार के लिए। प्रस्ताव के हिसाब से एक एमओए ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और न्याय विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए थे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया।

(12) न्याय तक पहुंच, उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर

(भारत सरकार परियोजना)

परियोजना/योजना का शीर्षक: "न्याय तक पहुंच - उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर"

प्रायोजन एजेंसी का नाम : न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

परियोजना की अवधि : अप्रैल, 2012 - मार्च, 2017

परियोजना की कुल लागत : 30 करोड़ रुपए

11. न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर) परियोजना के अंतर्गत पहल

- (1) **नागालैंड के दो सबसे पिछड़े जिले- तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना:** नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक परियोजना को पूरा कर लिया है जहाँ नागालैंड के सबसे आंतरिक और दूरदराज के दो जिलों तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना की गई है।
- (2) **लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन की जरूरत:** इस अध्ययन को गैर सरकारी संगठन इम्पल्स शिलांग, मेघालय द्वारा आयोजित किया गया। यह खासकर उन लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए लोगों जो कमजोर और गरीब हैं और इसलिए उनके अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने के साधन नहीं हैं, एक क्षेत्र आधारित अध्ययन था। यह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और न्याय विभाग और इम्पल्स गैर सरकारी संगठन के नेटवर्क द्वारा जारी किया गया।
- (3) **आठ पूर्वोत्तर राज्यों में समाज कल्याण विधान पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अर्ध विधिक स्वयंसेवी प्रशिक्षण:** इस गतिविधि को कमेटी फॉर लीगल ऐड टू पूयर, ओडिशा में आधारित एक नागरिक समाज के संगठन द्वारा किया गया। इसने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और (प्रत्येक राज्य से 50) नागालैंड से 400 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है।
- (4) **जम्मू एवं कश्मीर में मूल्यांकन अध्ययन की जरूरत:** इस अध्ययन को विधिक विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के हाशिए पर लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अध्ययन अंतिम चरण में है।
- (5) **जम्मू-कश्मीर में विधिक सहायता क्लीनिकों का समर्थन:** परियोजना, विधिक विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों का समर्थन कर रही है। गतिविधि पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।
- (6) **नई परियोजना राज्यों में परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन का प्रतिपादन:** दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के दल को राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर) परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और विधिक सेवा प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर (पीसी और पीए), मेघालय (पीसी और पीए) और मिजोरम (केवल पीसी) को छोड़कर सभी राज्यों में भर्तियों को पूरा किया जा चुका है।

(7) **जम्मू-कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने के लिए नीति का रूपरेखा मसौदा तैयार करना:** श्रीनगर में स्थित कश्मीर फोर्ड नामक संगठन को जम्मू-कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने के लिए आकलन अध्ययन करने के लिए और अनाथालयों संचालन के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए चयनित किया गया था। यह परियोजना पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(8) **उत्तर-पूर्व में 400 पैनल वकीलों का प्रशिक्षण:** गुवाहाटी में स्थित मानव अधिकार के लिए विधिक प्रकोष्ठ नामक संगठन को पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक से 50 पैनल वकीलों के प्रशिक्षण का कार्य करने के लिए चुना गया। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों (नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर) में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नालसा की नीति में परिवर्तन के कारण इसे अन्य राज्यों के लिए बंद किया गया था।

(9) **एसएलएसए, जम्मू-कश्मीर के 225 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण:** रमन डेवलपमेंट्स कनसलटंट्स प्राइवेट लिमिटेड को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में 225 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को प्रशिक्षित करने के लिए चुना गया था। इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जम्मू-कश्मीर में अर्ध विधिक स्वयंसेवियों के लिए एक अनूठा अवसर साबित हुई क्योंकि उन्हें पहली बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(10) **आगामी कार्यक्रम:**

- i. पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के एसआरसी के माध्यम से विधिक साक्षरता गतिविधियां।
- ii. महिला एवं बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चयनित जिलों में संरक्षण अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
- iii. प्रसार भारती, त्रिपुरा के सहयोग से विधि के छात्रों के माध्यम से विधिक साक्षरता
- iv. विधि विभाग, नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग द्वारा लॉ कॉलेजों, वकीलों और सिविल सोसायटी का विधिक सहायता प्रशिक्षण।

12. विभाग की विविध गतिविधियां

(1) **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति और संबन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्रों का हस्तांतरण करने और आरटीआई आवेदनों/ अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए सीएपीआईओ नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत अपेक्षित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (<http://doj.gov.in>) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

(घ) सभी निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में उनके अधीन काम कर रहे अवर सचिवों जिन्हें सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है, के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ङ.) वर्ष 2015 (01.01.2015 से 31/12/2015) के दौरान विभाग में दस्ती रूप में प्राप्त 397 आरटीआई आवेदन और अपील और ऑनलाइन प्राप्त 1962 आरटीआई आवेदन और अपील मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबन्धित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेज दिए गए।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011-आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग सभी आरटीआई और अपील के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

(2) शिकायत निवारण

- (i) विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत की केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और प्रबोधन प्रणाली विभाग पोर्टल, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है, की स्थापना की है। 31/12/2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 16,760 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका समाधान कर दिया गया है।
- (ii) विभाग ने अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और निपटारे के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। इस तंत्र के तहत 01/04/2015 से 31/12/2015 तक 6350 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस अवधि के दौरान 4775 मामले निपटा दिए गए हैं।

(3) महिलाओं का सशक्तिकरण

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में, 24/11/2015 को विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारियों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (एक गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी शामिल हैं। शिकायत समिति ने 27/11/2015 को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

(4) स्वच्छ भारत

एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, न्याय विभाग ने अनेक गतिविधियां शुरू कीं। इस संबंध में 25 सितम्बर, 2014 से 1 अक्टूबर, 2014 तक स्वच्छता, परिसर, परिवेश, गलियारों की सफाई और पुराने रिकॉर्ड को समाप्त करने जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित कीं। 2 अक्टूबर, 2014 को सचिव (न्याय) द्वारा सभी कर्मचारियों को " स्वच्छता शपथ " दिलाई गई। सचिव (न्याय) के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वैच्छिक श्रमदान किया। 3 अक्टूबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 को, 1 नवंबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2015 और 1 नवंबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2019 के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

उपाबंध-1
(अध्याय I, पैरा 2 देखें)

विधि कार्य विभाग का संगठन-चार्ट

विधि सचिव (श्री पी.के. मल्होत्रा)									
मुख्य सचिवालय \					मुख्य सचिवालय के बाहर				
अपर सचिव (श्री दिनेश आरटवज)					शाखा सचिवालय				
					मुंबई	कोल्कता	चैन्नै	बंगलूरु	मैट्रीय अतिरिक्त अनुभाग
सं.स. एवं वि.स. (श्री सुरेश चंद)	सं.स. एवं वि.स. (श्री रामचरण काटव)	सं.स. एवं वि.स. (श्री जी.एस. यादव)	सं.स. एवं वि.स. (श्री डी.कुमार) (रेलवे बोर्ड)	सं.स. एवं वि.स. (श्री आर.एस. मिश्र)	सं.स. एवं वि.स. (श्री आर.एस. मिश्र) (दूरसंचार)	सं.स. एवं वि.स. (श्री एस.एस. सरकार)	सं.स. एवं वि.स. (श्री एस.एस. सरकार)	सं.स. एवं वि.स. (श्री एस.एस. सरकार)	सं.स. एवं वि.स. (श्री एस.एस. सरकार)

संकेत सूची	
सं.स. एवं वि.स.	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
व.स.अ.	वरिष्ठ सरकारी अधिकृत
उ.वि.स.	उप विधि सलाहकार

उपाबंध-II

(अध्याय I, पैरा 15 (ग) (xii) देखें)

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2015 के अनुसार प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

1	2	3
कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
469		
विधि कार्य विभाग		
4	5	6
कुल अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है।
48		
7	8	9
आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।
132		

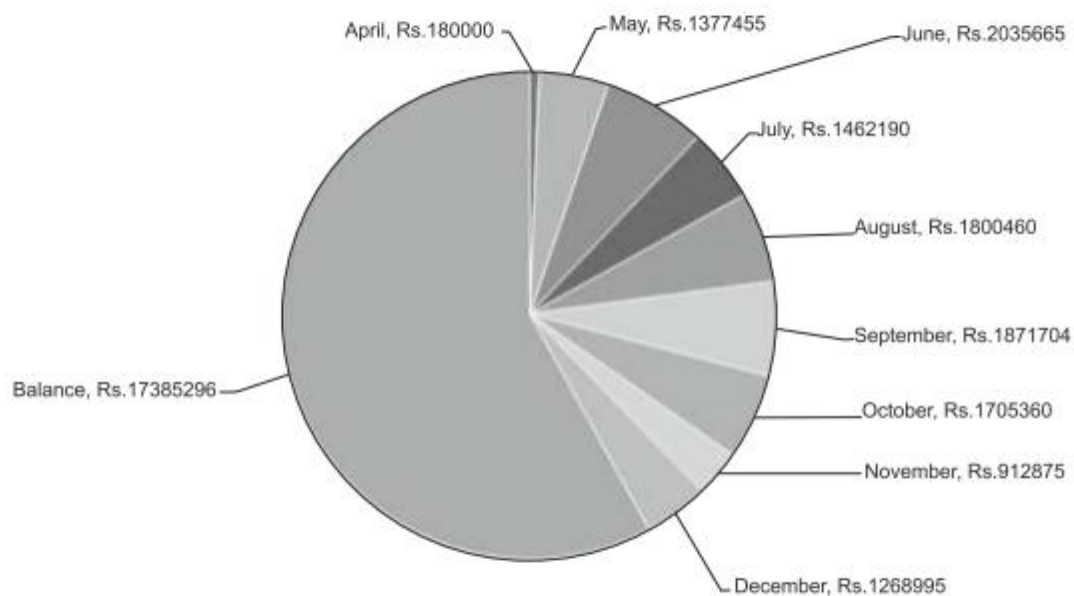
दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

1	2	3	4	5	6
	हिन्दी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	5998	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया।	5998	30641	11149
	7	8	9	10	11
	तारों की कुल संख्या	हिन्दी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिन्दी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या
विधि कार्य विभाग	-	-	-	5160	-
	13	14	15	16	17
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/द्विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या	हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या
				राजपत्रित	अराजपत्रित
विधि कार्य विभाग	300	300*	-	148	365
				राजपत्रित	अराजपत्रित
				155	72
				सभी	सभी
				-	-
				18	19
				रबड़ की मुहरें	नाम - पट्टिकाएं
				अंग्रेजी में	अंग्रेजी में
				द्विभाषिक	द्विभाषिक
				सभी	सभी
				-	-

*सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है।

उपाबंध-III (अध्याय I, पैरा 17(7) देखें)

शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान अधिवक्ताओं को किए गए वृत्तिक फीस के संवितरण के आंकड़े



वर्ष 2015-2016 के दौरान बजट की रकम: रु. 3,00,00,000/-
दिसंबर, 2015 तक दी गई कुल रकम: रु. 12,61,47,04/-

उपाबंध IV

(अध्याय I, पैरा 29(3) देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2016 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	104	20	19.23%	34	32.69%	14	13.46%	-	-	-	-
समूह 'ख'	246	37	15.04%	05	2.03%	19	7.72%	03	1.21%	03	1.21%
समूह 'ग'	119	19	15.96%	04	3.36%	09	7.56%	-	-	01	0.84%
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	179	57	31.84%	12	6.70%	24	13.40%	01	0.55%	03	1.67%
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	08	08	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	656	141	21.49%	55	8.38%	66	10.06%	04	0.60%	07	1.06%

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रणीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रणीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष अग्रणीत जाने के बाद हुए व्यपगत आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए व्यपगत आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 19 + 20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से	स्तंभ 4 में से	स्तंभ 5 में से	स्तंभ 6 में से	स्तंभ 7 में से	स्तंभ 8 में से	स्तंभ 9 में से	स्तंभ 10 में से	स्तंभ 11 में से
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	01	01	01	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* सीएसएस और सीएसएसएस संवर्ग के विभिन्न पदों के संदर्भ में रिक्त पदों की गणना डीओपीटी द्वारा की जाती है। इस विभाग द्वारा केवल सीएसएसएस संवर्ग के समूह 'ग' पदों से संबंधित रिक्तियों की गणना की जाती है, जिन्हें अभी अपिस्चुत किया जाना है।

* भाग II - प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	08	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	04	32	-	-	04	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	11	03	02	02	02	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग'	01	01	01	01	-	-	-	-	-		
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

भाग -III प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	10	-	-	02	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
‘क’	•	•	•	•	•	•	•	•	•
‘ख’	•	•	•	•	•	•	•	•	•
‘ग’	•	•	•	•	•	•	•	•	•
‘घ’	•	•	•	•	•	•	•	•	•
‘च’ (सफाई कर्मचारी)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

उपाबंध V

(अध्याय I, पैरा 30 देखें)

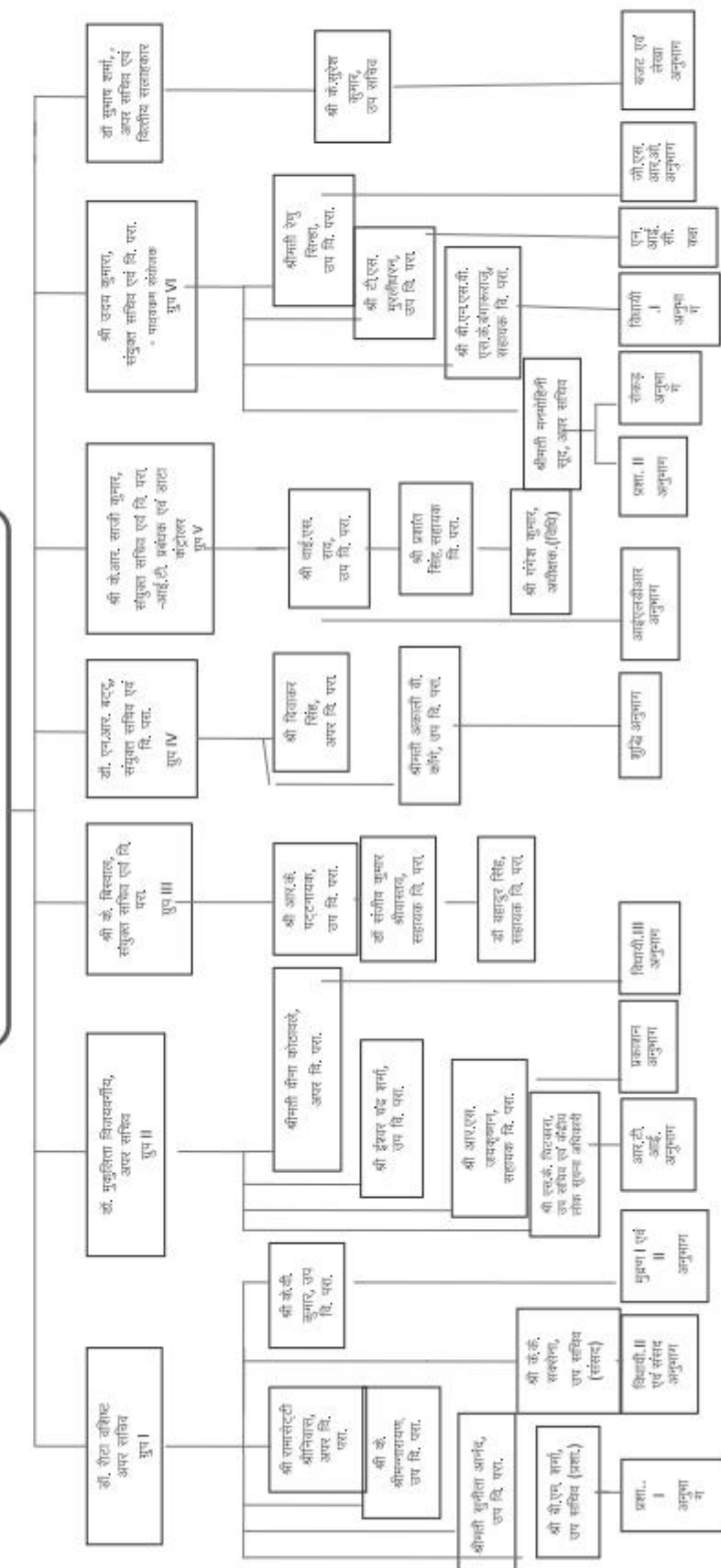
महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग(विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	104	15	121	12
समूह ख	246	84	149	26
समूह ग	119	06	256	90
समूह घ	187	15	200	11
कुल	656	120	726	139

उपाबंध VI (अध्याय II पैरा 2 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(01.01.2016 की स्थिति के अनुसार)

सचिव
[डॉ. जी. नारायण राजू]



उपाबंध VII

(अध्याय II, पैरा 36(9) देखें)

हिंदी शिक्षण योजना सहित, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का विवरण दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि के दौरान

	1	2	3	4	5	6	7
	हिंदी में प्राप्त पत्र	उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया	जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या
विधायी विभाग	4795	शून्य	9362	5871	10176	9287	889
	8	9	10	11	12		
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी वर्ग	खर की मोहरें			
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषी	अंग्रेजी में
विधायी विभाग	@231	94	204	*73	**194	308	शून्य
						द्विभाषी	अंग्रेजी में
						शून्य	शून्य

हिन्दी शिक्षण योजना

	1	2.	3	4	5.	6	7	8	9
	अधिकारियों तथा प्रचालन स्टाफ की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले/हिंदी में प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या	हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.श्रे.लि./टंककों की कुल संख्या	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी टंकण में अप्रशिक्षित कर्मचारी	आशुलिपिकों की कुल संख्या	हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी आशुलिपि में अप्रशिक्षित कर्मचारी
विधायी विभाग	298	297	01	23	21	02	42	30	12

@ सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप से कार्य किया जा सकता है।

*** . भोष कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं।

उपाबंध VIII

(अध्याय II, पैरा 40 देखें)

1 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःयुक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशुक्त जन	%
ए	66	7	10.6	3	4.5	12	18.1	—	—	2	3.0
बी	105	21	20.0	2	1.9	8	7.6	—	—	3	2.8
सी	127	38	29.9	9	7.0	14	11.0	—	—	—	—
कुल	298	66	22.1	14	4.6	34	11.4	—	—	5	1.6

उपाबंध IX
(अध्याय II, पैरा 40 देखें)

01.01. 2016 की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत
श्रेणी 'ए'	66	15	22.7
श्रेणी 'बी'	105	40	38.0
श्रेणी 'सी'	127	14	11.0
कुल	298	69	23.1

उपाबंध X

(अध्याय III, पैरा 1 देखें)

